वर्ष–11, अंक–01, पृष्ठ–52, जनवरी–2026, मूल्य–25 रुपए

ग्रामीण उपभोक्ता

जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता

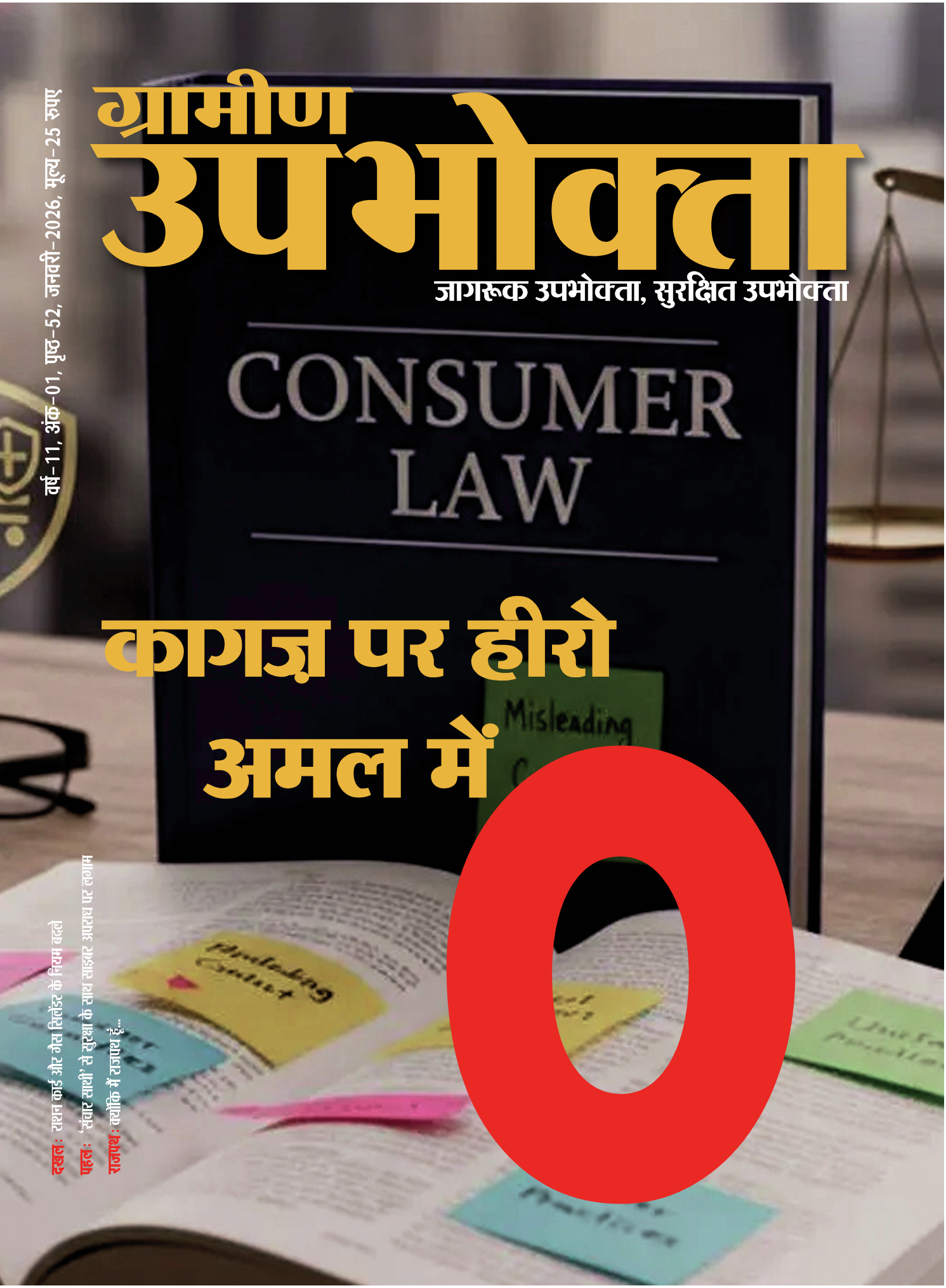

कागज़ पर हीरो अमल में 0

दखल : राशन कार्ड और गैस सिलेंडर के नियम बदले
पहल : 'संचार साथी' से सुरक्षा के साथ साइबर अपराध पर लगाम
राजपथ : क्योंकि मैं राजपथ हूं...

NCUI हाट

coop

PROSPERITY THROUGH COOPERATION

NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA

विषयवस्तु

संपादकीय निदेशक
आशीष मिश्र
संपादक
बिनोद आशीष
समाचार संपादक
आरती झा
सहायक संपादक
अजय कुमार खुशबू
कॉपी डेस्क
सत्यम
विधिक सलाहकार
डी.के. दुबे

प्रशासनिक कार्यालय

101, शाहपुरी टॉवर, जनक सिनेमा कॉम्प्लेक्स के पीछे, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

संपर्क सूत्र

मो. नं.: +91-9899066717
graminupbhokta@gmail.com

प्रिंट लाइन

मुद्रक एवं प्रकाशक: प्रतिध्वनि मीडिया प्रा. लि. के लिए बिनोद आशीष द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित तथा पुरुराज प्रिंट एवं पैकेजिंग प्रा. लि. एल-19 सेक्टर-6 नोएडा (यूपी) 201301 से मुद्रित एवं ई-3 मिलाप नगर, नई दिल्ली-110058 से प्रकाशित

6

राशन कार्ड और गैस सिलेंडर है तो इस खबर को जरूर पढ़ें...

उपभोक्ता संरक्षण की कमजोर कमान...! 11

17

'संचार साथी' से सुरक्षा के साथ साइबर अपराध पर लगाम

जरूरी है उपभोक्ता कानून के दायरे को समझना ताकि शिकायत गलत मंच पर न जाए

25

क्योंकि मै राजपथ हूं...

41

44
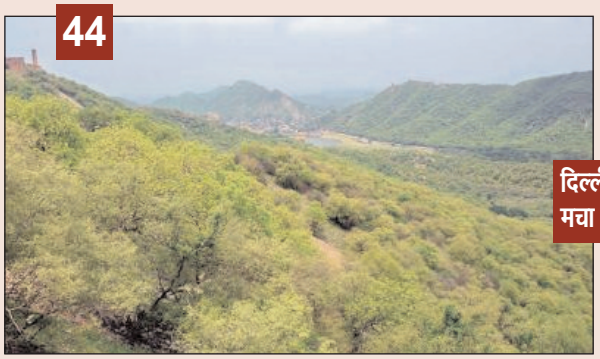
दिल्ली के 'ग्रीन लंग्स' पर खतरा, क्यों मचा बवाल ?

ग्राहक प्रति

ग्रामीण उपभोक्ता

जागरूक उपभोक्ता

उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार की पहल

सुरक्षित उपभोक्ता

आप हासिल कर सकते हैं

हां, मैं ग्रामीण उपभोक्ता का ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं

टिक करें	अवधि	कुल अंक	मूल्य (रु.)	आपको देना है (रु.)
☐	1 वर्ष	12	300	250
☐	3 वर्ष	36	900	700
☐	5 वर्ष	60	1500	1200
☐	आजीवन (15 वर्ष)	180	4500	3500

अपनी पसंद के ऑफर पर निशान लगाएं और ग्राहकी फॉर्म भरकर इस पते पर भेजें: 101 शाहपुरी टॉवर, जनक सिनेमा कॉम्प्लेक्स के पीछे, जनकपुरी , नई दिल्ली-110058

चेक/डीडी से भुगतान

मैं ग्रामीण उपभोक्ता के पक्ष में भेज रहा हूं..... दिनांक.....आहरित बैंक(बैंक का नाम).....

चेक/डीडी नंबर..... दिल्ली से बाहर के चेक के लिए 50 रुपए अतिरिक्त दें। ऐट पार चेक के लिए लागू नहीं

नाम.....पता.....

शहर.....राज्य.....पिन.....फोन नंबर (निवास).....

मोबाइल नंबर..... ई-मेल.....

आप ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका के बारे में अपनी राय हमें ऊपर दिए गए पते या फिर मेल पर भेज सकते हैं।
ई-मेल: graminupbhokta@gmail.com

ग्राहक प्रति

ग्रामीण उपभोक्ता

नाम.....पता.....

शहर.....राज्य.....पिन.....फोन नंबर (निवास).....

मोबाइल नंबर..... ई-मेल.....

आप ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका के बारे में अपनी राय हमें ऊपर दिए गए पते या फिर मेल पर भेज सकते हैं।
ई-मेल: graminupbhokta@gmail.com

कंज्यूमर इज़ NOT किंग

हर साल उपभोक्ता के नाम पर होने वाले ऐसे कार्यक्रमों से अगर कोई गायब होता है तो वह आम उपभोक्ता होता है जिसके नाम पर सारा तामझाम होता है। इस साल भी ऐसा ही कुछ हुआ। कार्यक्रम के बारे में सूचनाएं सीमित रखी गईं। किस आधार पर उपभोक्त संगठनों और निकायों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया इसके बारे में ठोस दिशानिर्देशों का अभाव रहा। उपभोक्ता मामलों के क्षेत्र में सक्रिय राष्ट्रीय स्तर के कई गैर सरकारी संगठनों को भी कार्यक्रम में शामिल होने का न्यौता तक नहीं दिया गया। ऐसा क्यों और किसके निर्देश पर किया गया?

FEEDBACK
misraashish02@gmail.com
M.N. –9899152489

उपभोक्ता किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में उपभोक्ता न केवल वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, बल्कि बाजार की दिशा और गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उपभोक्ता संरक्षण को लेकर जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ी और समय के साथ मजबूत कानूनी ढांचा विकसित हुआ। इसके बावजूद आज भी उपभोक्ता शोषण, भ्रामक विज्ञापन, घटिया उत्पाद, ऑनलाइन धोखाधड़ी और सेवा में कमी जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं।

भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस साल भी उपभोक्ता मामले विभाग ने इसे मनाया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH), ई-कॉमर्स नियम, भ्रामक विज्ञापनों पर नियंत्रण तथा त्वरित शिकायत निवारण जैसी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देना था। कार्यक्रम की थीम 'जागरूक उपभोक्ता, सशक्त भारत' थी।

जैसा कि आमतौर पर होता रहा है ऐसे कार्यक्रमों में कुछेक संगठन, कुछ उपभोक्ता मामलों से जुड़े कथित विशेषज्ञ और सरकारी तामझाम के साथ मंत्री, सचिव या विशेष आमंत्रितों का भाषण, चाय-खाना। बस, कहानी खत्म। हर साल उपभोक्ता के नाम पर होने वाले ऐसे कार्यक्रमों से अगर कोई गायब होता है तो वह आम उपभोक्ता होता है जिसके नाम पर सारा तामझाम होता है। इस साल भी ऐसा ही कुछ हुआ। कार्यक्रम के बारे में सूचनाएं सीमित रखी गईं। किस आधार पर उपभोक्त संगठनों और निकायों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया इसके बारे में ठोस दिशानिर्देशों का अभाव रहा। उपभोक्ता मामलों के क्षेत्र में सक्रिय राष्ट्रीय स्तर के कई गैर सरकारी संगठनों को भी कार्यक्रम में शामिल होने का न्यौता तक नहीं दिया गया। ऐसा क्यों और किसके निर्देश पर किया गया? यह प्रश्न अनुत्तरित है। हालांकि कार्यक्रम में ऐसे सत्रों का आयोजन रखा गया जो कई मायनों में व्यावहारिक थे लेकिन उसका संबंध पेशेवर प्रशिक्षण से ज्यादा था जिसमें लगातार फीडबैक और निगरानी की जरूरत रहती है। कार्यक्रम ने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभाई। विशेष रूप से युवाओं और डिजिटल उपभोक्ताओं में ई-कॉमर्स नियमों और शिकायत निवारण तंत्र के प्रति रुचि बढ़ी। हालांकि, वास्तविक प्रभाव तभी दीर्घकालिक होगा जब कार्यक्रम से प्राप्त जानकारी का जमीनी स्तर पर निरंतर प्रसार किया जाए।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कई ऐसे नवीन विषय क्षेत्र हैं विशेषकर ऑनलाइन कारोबार और उससे जुड़ा बाजारी छल, विवाद निवारण के लिए मध्यस्थता जैसे उपायों पर फोकस और कंज्यूमर हेल्पलाइन की उपादेयता पर विशेष चर्चा जरूरी है। लेकिन ये विषय क्षेत्र ऐसे भी नहीं हैं कि महज आयोजनों और समारोहों में चर्चा का विषय बन कर सीमित रह जाएं।

आयोजन की अपनी सीमाएं तो थी हीं साथ ही उसकी अपनी खामियां भी थीं। सबसे पहली तो यही कि, कार्यक्रम में ग्रामीण एवं कमजोर वर्गों की भागीदारी बहुत सीमित थी। कार्यक्रम का प्रभाव मुख्यतः शहरी और शिक्षित वर्ग तक सीमित रहा। दूसरा, व्यावहारिक प्रशिक्षण का अभाव था। उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने की लाइव डेमो/वर्कशॉप अपेक्षाकृत कम रहीं। फॉलोअप की कमी काफी अखरी। कार्यक्रम के बाद जागरूकता को बनाए रखने के लिए ठोस कार्ययोजना स्पष्ट नहीं दिखी। इसके अलावा, कार्यक्रम में भाषाई विविधता का सीमित उपयोग किया गया। क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री और सत्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन ऐसी हुआ नहीं।

बेहतर होता, अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जैसे मौके पर ग्रामीण-स्तरीय अभियानों को शुरू किया जाता और पंचायतों, स्कूलों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विकेंद्रीकृत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता। हैंड होल्डिंग वर्कशॉप के जरिए ई-दाखिल/NCH पर शिकायत दर्ज करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता। स्थायी जागरूकता तंत्र तैयार किया जाता जहां से सोशल मीडिया, सामुदायिक रेडियो और स्थानीय भाषाओं में नियमित सामग्री उपलब्ध कराई जाती। इसके अलावा, डेटा-आधारित समीक्षा करने की व्यवस्था की जाती जहां दर्ज शिकायतों, निस्तारण दर और मध्यस्थता के परिणामों का सार्वजनिक विश्लेषण किया जाता। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के सशक्तिकरण का सवाल। केंद्रीय एवं राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की बैठकों और अनुशंसाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मैकेनिज्म तैयार करने की रणनीति जिसके बिना कंज्यूमर कभी किंग भी बन सकता है सोचा ही नहीं जा सकता।

आरती झा

राशन कार्ड और गैस सिलेंडर है तो इस खबर को जरूर पढ़ें...

25 दिसंबर से नए नियम लागू, नियमों का मकसद पात्र लोगों तक सुविधा को पहुंचाना

भारत सरकार द्वारा देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में समय-समय पर बदलाव किए जाते हैं। इसी कड़ी में, 25 दिसंबर 2025 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर के इस्तेमाल को लेकर कुछ बड़े और महत्वपूर्ण नियम लागू कर दिए गए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य सरकारी सुविधाओं में पारदर्शिता लाना और यह सुनिश्चित करना है कि लाभ केवल पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचे।

यदि आप भी राशन कार्ड धारक हैं या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का लाभ लेते हैं, तो ये खबरें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने पर न केवल राशन मिलना बंद हो सकता है, बल्कि गैस सब्सिडी पर भी रोक लग सकती है। इन नियमों के लागू होने से फर्जी राशन कार्डों पर लगाम लगेगी और सिस्टम पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा।

पांच नए नियम

5 नए नियमों के तहत ई-केवाईसी (e-KYC), बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी सुविधाओं को और भी सख्त और बेहतर बनाया जा रहा है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि 25 दिसंबर से आपकी रसोई और राशन पर क्या असर पड़ने वाला है और आपको कौन से जरूरी काम समय रहते पूरे कर लेने चाहिए।

- Ration Card and Gas Cylinder Update 2025 Overview Table
- योजना/अपडेट का नाम राशन कार्ड और गैस सिलेंडर नए नियम 2025
- लागू होने की तिथि25 दिसंबर 2025
- मुख्य बदलाव ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक और सब्सिडी नियम
- लाभार्थीराशन कार्ड धारक और उज्ज्वला गैस उपभोक्ता

- जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर
- विभाग खाद्य एवं रसद विभाग और पेट्रोलियम मंत्रालय
- उद्देश्य फर्जीवाड़ा रोकना और पारदर्शिता लाना
- आधिकारिक वेबसाइट nfsa.gov.in

25 दिसंबर से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 5 नए नियम

सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और रसोई गैस वितरण को लेकर जो नई गाइडलाइन्स जारी की गई हैं, उनका सीधा असर देश के करोड़ों लाभार्थियों पर पड़ेगा। इन नियमों को लागू करने की तारीख 25 दिसंबर 2025 तय की गई है, ताकि नए साल से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकें।

1. राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी (e-KYC)

सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम ई-केवाईसी से जुड़ा है।

सरकार ने आदेश दिया है कि राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है। यदि किसी सदस्य की ई-केवाईसी 25 दिसंबर तक पूरी नहीं होती है, तो उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा।

यह प्रक्रिया आप अपने नजदीकी कोटेदार (राशन डीलर) के पास जाकर पीओएस (PoS) मशीन के माध्यम से अंगूठा लगाकर पूरी कर सकते हैं। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि कई ऐसे लोग भी राशन ले रहे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो अपात्र हैं।

2. गैस सिलेंडर डिलीवरी के लिए ओटीपी (OTP) अनिवार्य

अब गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने डिलीवरी सिस्टम में बदलाव किया है। 25 दिसंबर से जब भी आपके घर गैस सिलेंडर आएगा, तो डिलीवरी बॉय को आपको एक ओटीपी (One Time Password) देना होगा।

यह ओटीपी आपके उस मोबाइल नंबर पर आएगा जो गैस एजेंसी में रजिस्टर्ड है। बिना ओटीपी वेरिफिकेशन के सिलेंडर की डिलीवरी सफल नहीं मानी जाएगी। इससे यह पक्का होगा कि सिलेंडर सही उपभोक्ता तक पहुंचा है।

3. अपात्र राशन कार्डों का होगा निरस्तीकरण

सरकार ने डेटा छानबीन के बाद करोड़ों फर्जी राशन कार्डों की पहचान की है। जो लोग आयकर (Income Tax) भरते हैं, जिनके पास चार पहिया वाहन है या जो सरकारी नौकरी में हैं, उनके राशन कार्ड 25 दिसंबर के बाद रद्द कर दिए जाएंगे।

खाद्य विभाग की टीमों द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भौतिक सत्यापन (Physical Verification) भी किया जा रहा है। यदि कोई गलत तरीके से राशन लेते पाया गया, तो उससे अब तक लिए गए राशन की वसूली बाजार रेट पर की जा सकती है।

4. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ई-केवाईसी और सब्सिडी

उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी LPG e-KYC अनिवार्य कर दी गई है। सब्सिडी का लाभ सीधे बैंक खाते में (DBT) पाने के लिए आपका आधार कार्ड बैंक खाते और गैस कनेक्शन दोनों से लिंक होना चाहिए।

जिन ग्राहकों ने अभी तक अपनी गैस एजेंसी जाकर केवाईसी नहीं करवाई है, उनकी सब्सिडी 25 दिसंबर से रोकी जा सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ही सस्ती दरों पर गैस सिलेंडर मिले।

5- वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) के नए फीचर्स

25 दिसंबर से वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पोर्टेबिलिटी नियमों को और आसान बनाया जा रहा है। अब प्रवासी मजदूर देश के किसी भी कोने में हों, वे अपनी पसंद की राशन दुकान से बायोमेट्रिक देकर अनाज ले सकेंगे।

नई तकनीक के जरिए अब मशीनों को अपडेट किया गया है ताकि सर्वर की समस्या न आए और लाभार्थियों को घंटों लाइन में न लगना पड़े। इसके साथ ही अब कुछ राज्यों में राशन के साथ-साथ दाल, तेल और नमक के वितरण पर भी सख्ती बरती जाएगी।

महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची

इन नए नियमों के लाभ और कार्ड को चालू रखने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज अपडेटेड होने चाहिए:

- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड।
- एक्टिव मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो)।
- बैंक खाते की पासबुक (सब्सिडी के लिए)।
- मूल राशन कार्ड की कॉपी।
- आय प्रमाण पत्र (यदि पात्रता की जांच हो रही हो)।

सेहत और पर्यावरण के सवाल अगरबत्ती के लिए नए मानक तय

खतरनाक रसायनों और सेंट के इस्तेमाल पर रोक

सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा, घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता और पर्यावरण की रक्षा के लिए अगरबत्ती के लिए एक नया बीआईएस मानक जारी किया है। इस नए नियम से अगरबत्ती बनाने में इस्तेमाल होने वाले हानिकारक रसायनों पर रोक लगेगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 के मौके पर 'आईएस 19412:2025-अगरबत्ती' मानक जारी किया। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता की अगरबत्ती उपलब्ध कराना है। हाल ही में अधिसूचित नए मानक में कुछ ऐसे कीटनाशक रसायनों और नकली खुशबू वाले पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है, जो लोगों की सेहत, घर के अंदर की हवा और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इससे अगरबत्ती जलाने से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा।

कुछ कीटनाशकों और रसायनों के इस्तेमाल पर रोक

भारत दुनिया में अगरबत्ती का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक है। देश में अगरबत्ती उद्योग का आकार करीब 8,000 करोड़ रुपए का है, और लगभग 1,200 करोड़ रुपए की अगरबत्ती 150 से ज्यादा देशों में भेजी जाती है। यह उद्योग गांवों और छोटे शहरों में काम करने वाले कारीगरों, छोटे व्यापारियों और एमएसएमई इकाइयों को रोजगार देता है। खासकर महिलाओं को बड़ी संख्या में काम मिलता है, जिससे उनकी आजीविका चलती है। नए बीआईएस मानक के अनुसार, अगरबत्ती बनाने में कुछ खास रसायनों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक होगी। इनमें एलेथ्रिन, परमेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन और फिप्रोनिल जैसे कुछ कीटनाशक रसायन, साथ ही बेंजाइल साइनाइड, एथिल एक्रिलेट और डिफेनिलमाइन जैसे नकली खुशबू वाले पदार्थ शामिल हैं। इनमें से कई रसायन पहले ही कई देशों में स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कारण प्रतिबंधित या बैन किए जा चुके हैं। इसलिए भारत में भी इनके इस्तेमाल को रोकने की जरूरत महसूस की गई।

क्यों जरूरी था नया मानक बनाना?

मंत्रालय के अनुसार, उपभोक्ताओं की सुरक्षा, स्वच्छ हवा और पर्यावरण की रक्षा को ध्यान में रखते हुए अगरबत्ती के लिए अलग से भारतीय मानक बनाना जरूरी था। इस नए मानक में अगरबत्ती को मशीन से बनी, हाथ से बनी और पारंपरिक मसाला अगरबत्ती के रूप में बांटा गया है। इसमें कच्चे माल, जलने की गुणवत्ता, खुशबू और रसायनों की सीमा से जुड़े नियम तय किए गए हैं, ताकि लोगों को सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता की अगरबत्ती मिले। जो अगरबत्तियां इस मानक पर खरी उतरेंगी, उन पर बीआईएस का स्टैंडर्ड मार्क लगाया जाएगा। इससे उपभोक्ता आसानी से सही और सुरक्षित उत्पाद चुन सकेंगे।

सरकार का कहना है कि इस नए नियम से उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा, पारंपरिक कारीगरों की आजीविका सुरक्षित होगी और भारतीय अगरबत्ती को दुनिया के बाजार में और पहचान मिलेगी।

–लेखक ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका की समाचार संपादक हैं

विष्णु स्वरूप

ऑनलाइन खरीदारीः अजब कहानी के गजब सबक...!

सतर्कता एवं जागरूकता उपभोक्ता के लिए जरूरी

उपभोक्ता जागरूकता के लिहाज से यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे उपभोक्ताओं के लिए जो जमकर ऑनलाइन खरीदारी करते हैं।

क्या है मामला?

जनकपुर नेपाल में भारत सरकार के एक प्रोजेक्ट से जुड़े एक अधिकारी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड की एक नायाब घटना हुई। मामले की संजीदगी को देखते हुए हम उस अधिकारी का नाम नहीं दे रहे हैं। उस अधिकारी ने भारत में नोएडा में रह रहे अपने परिवार के लिए एक नामी सप्लाई चेन से एक बड़े ब्रांड का लैपटॉप खरीदा। उस लैपटॉप की कीमत थी 80,000 रुपए। उस लैपटॉप को अधिकारी के नोएडा स्थित आवास पर डिलीवर किया जाना था। लैपटॉप का पैसा पहले ही दिया जा चुका था। जैसा कि तय था सप्लाई चेन की तरफ से लैपटॉप को नोएडा स्थित आवास पर डिलीवर कर दिया गया। उस लैपटॉप की खरीद रसीदें वैगरह सब नेपाल में अधिकारी के पास थी। उन्होंने अपने घर फोन करके लैपटॉप से संबंधित जानकारी मांगी और इत्मीनान हो गए। समस्या तब शुरू हुई जब लैपटॉप ने अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं किया। कंपनी को सूचित किया गया। कंपनी ने लैपटॉप से संबंधित कुछ डिटेल्स मांगे।

दाल में कुछ काला है यह समझ में आया जब रसीद पर वर्णित डिटेल्स और लैपटॉप पर लिखे डिटेल्स में फर्क दिखाई दिया। लैपटॉप विक्रेता कंपनी ने इस मामले में किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर दिया।

बात यह समझ में आई कि जिस लैपटॉप का ऑर्डर किया गया था, पैसा दिया गया था और जो लैपटॉप डिलीवर किया गया उसमें अंतर है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब था कि जिस लैपटॉप का पैसा लिया गया उसे डिलीवर किया ही नहीं गया और उसकी जगह किसी सबस्टैंडर्ड लैपटॉप को डिलीवर कर दिया गया। उंगली सीधे- सीधे, सप्लाई करने वाली कंपनी पर उठती थी। सप्लाई चेन वाली कंपनी भी काफी रसूखदार थी। उसने भी अपनी

जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। उसका कहना था कि उसे पैक करके जो लैपटॉप मिला उसने वही डिलीवर कर दिया।

सप्लाई करने वाली कंपनी कैसे आई कटघरे में?

अब सवाल यह उठता है कि लैपटॉप सप्लाई करने वाली कंपनी पर कैसे दोषारोपण किया जा सकता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में तीन पक्ष थे- पहला, ग्राहक यानी खरीदार। दूसरा, लैपटॉप निर्माता कंपनी और तीसरा, उस लैपटॉप को घर तक डिलीवर करने वाली सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनी।

लैपटॉप निर्माता कंपनी ने इनवॉयस के साथ लैपटॉप के डिटेल्स के मेल न खाने पर लैपटॉप की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया जो एकदम सही था। उस कंपनी के हिसाब से लैपटॉप उसकी कंपनी का था ही नहीं और इसका पुख्ता सबूत इनवॉयस और लैपटॉप पर वर्णित डिटेल्स में फर्क से साबित होता था। अब मामला आकर

- लैपटॉप की खरीदारी में उलझा पेंच
- विक्रेता कंपनी और सप्लाई चेन दोनों पर निगाह रखें

फंसता था सप्लाई चेन पर। जाहिर है कि जो कुछ भी गड़बड़ी हुई उसकी सुई उसी पर टिकती थी। लेकिन वह भी अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ रही थी।

हुआ क्या?

मामला प्रभावशाली लोगों से जुड़ा था। कंपनी को भी पता था कि, अगर बात बढ़ी तो स्थिति बदतर हो सकती है। बाजार में नाम खराब होगा वह तो अलग लेकिन साथ ही मामला कोर्ट-कचेहरी तक पहुंचने की भी बात थी। मामले को निपटाने के लिए कंपनी ने एक बिचौलिए को तय किया जो संयोग से सप्लाई चेन वाली कंपनी में काम करता था और साथ ही खरीदार को भी जानता था। उसकी मध्यस्थता से मामले को सुलझाने की कोशिशें शुरू की गईं। सप्लाई चेन की तरफ से पहले कहा गया कि लैपटॉप को बदलवाने की कोशिश की जा रही है। फिर कहा गया कि सप्लाई चेन की तरफ से कुछ पैसे की भरपाई की जा सकती है। बात नहीं बनी तो काफी हीलाहवाली के बाद सप्लाई चेन ने लैपटॉप का पूरा पैसा वापस करने की पेशकश की। उसकी एक शर्त भी थी कि इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाए। खैर, मामला आगे नहीं बढ़ा क्योंकि ग्राहक को सबस्टैंडर्ड सामान के बदले पूरी भरपाई कर दी गई थी।

आपके लिए पाठ

उपभोक्ताओं, आपके लिए इस पूरे वाकये में एक सबक है। ऑनलाइन खरीदारी का दौर है, कीजिए, लेकिन जरा सोचसमझ कर। खरीदे गए उत्पाद की इनवॉयस से उत्पाद की सारी डिटेलिंग को मिलाइए और अगर उसमें कोई फर्क है तो तुरंत कंपनी से शिकायत कीजिए। कंपनी अगर मामले से पल्ला झाड़े तो सप्लाई चेन को पकड़िए। गलती की आशंका इन्हीं दोनों पक्षों में से किसी एक की है। अगर बात बनती नजर आए तो ठीक नहीं तो तुरंत कंपनी में शिकायत दर्ज कराइए। कंपनी हीलाहवाली करे तो उपभोक्ता हेल्पलाइन के अलावा उपभोक्ता आयोग जैसे मंचों पर कानूनी कार्रवाई को शुरू करिए।

–लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

बिनोद आशीष

उपभोक्ता संरक्षण की कमजोर कमान...!

भारत में उपभोक्ता संरक्षण महज रस्मअदायगी, निगरानी तंत्र कमजोर और लचर

24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस था। इस मौके पर उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमेशा की तरह कुछ उपभोक्ता संगठनों को जुटाया गया। 3- 4 घंटे का कार्यक्रम हुआ। कुछ को अपनी बात रखने का मौका मिला लेकिन ज्यादातर श्रोता बने देखते — सुनते रहे। कुल मिलाकर वही ढाक के तीन पात। देश में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हो चुका है। दावा किया गया है इसमें पिछले उपभोक्ता संरक्षण कानून की तमाम विसंगतियों को दूर करते हुए उसे नई परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किया गया है। ग्रामीण उपभोक्ता के इस नववर्ष अंक की कवर स्टोरी में इस दावे की हकीकत को परखने की कोशिश की गई है कि उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े नए कानून ने क्या सचमुच जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव किया है? क्या उपभोक्ता के सवाल आज सरकारों के सवाल बन पाए हैं, नौकरशाही की फाइलों में उन कितनी समस्याओं के जवाब मिल पाए हैं जिनकी तलाश भारत में एक उपभोक्ता को बरसों से रही है?

क्या है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम?

20 जुलाई, 2020 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को लागू किया गया जो उपभोक्ताओं को सशक्त करने के साथ उन्हें इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। नया अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की तुलना में तीव्रता से और कम समय में कार्यों का निपटान करेगा। पुराना अधिनियम न्याय हेतु सिंगल-प्वाइंट पहुँच के कारण ज्यादा समय लेता था।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

उपभोक्ता की परिभाषा

उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिये कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिये किसी वस्तु को हासिल करता है या कमर्शियल उद्देश्य के लिये किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेलीशॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिये किया जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन-देन शामिल है।

इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकारों को स्पष्ट किया गया है-

- ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन और संपत्ति के लिये जोखिमपूर्ण है।
- वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना।
- प्रतिस्पर्द्धी मूल्य पर वस्तु और सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन प्राप्त होना।
- अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवजे की मांग करना।

- उपभोक्ताओं में सरकारी तंत्र से नाउम्मीदी
- उपभोक्ता संरक्षण परिषद गैरपेशेवर और दंतहीन

- ई-कॉमर्स एवं अनुचित व्यापार अभ्यासों पर नियम

सरकार इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 को अधिसूचित करेगी जो निम्नलिखित हैं-

- ई-कॉमर्स संस्थाओं को उपभोक्ताओं को रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट और भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान संबंधी विधियों की सुरक्षा और उत्पत्ति के स्थान से संबंधित जानकारी देना आवश्यक है।
- इन प्लेटफॉर्मों को 48 घंटे के अंदर किसी भी उपभोक्ता की शिकायत को सुनना होगा और शिकायत प्राप्त करने के एक महीने के भीतर शिकायत का निवारण करना होगा तथा इस हेतु शिकायत अधिकारी की भी नियुक्त करनी होगी।
- उपभोक्ता संरक्षण (ई.कॉमर्स) नियम, 2020 अनिवार्य है, सलाहकारी नहीं।
- ये नियम ई-कॉमर्स कंपनियों को अनुचित मूल्य के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किये जाने वाले वस्तु या सेवाओं की कीमत में हेरफेर करने से भी रोकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों के लिये जुर्माना

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिये मैन्युफैक्चरर या एन्डोर्सर पर 10 लाख रुपए

तक का जुर्माना लगा सकता है। दोबारा अपराध की स्थिति में यह जुर्माना 50 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। मैन्युफैक्चरर को दो वर्ष तक की कैद की सजा भी हो सकती है जो हर बार अपराध करने पर पाँच वर्ष तक बढ़ सकती है।

उत्पाद की ज़िम्मेदारी (ProductLibility)

उत्पाद की जिम्मेदारी का अर्थ है- उत्पाद के मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या विक्रेता की जिम्मेदारी। यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह किसी खराब वस्तु या सेवा के कारण होने वाले नुकसान या क्षति के लिये उपभोक्ता को मुआवज़ा दे। मुआवज़े का दावा करने के लिये उपभोक्ता को विधेयक में उल्लिखित खराबी या दोष से जुड़ी कम-से-कम एक शर्त को साबित करना होगा।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) का गठन

केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षण और उन्हें लागू करने के लिये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority- CCPA) का गठन करेगी। यह अथॉरिटी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करेगी। महानिदेशक की अध्यक्षता में CCPA की एक अन्वेषण शाखा (इन्वेस्टिगेशन विंग) होगी, जो ऐसे उल्लंघनों की जाँच या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है।

उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन (CDRCs) का गठन

जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों (Consumer Disputes Redressal Commissions- CDRCs) का गठन किया जाएगा। एक उपभोक्ता निम्नलिखित के संबंध में आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है:

- अनुचित और प्रतिबंधित तरीके से व्यापार।
- दोषपूर्ण वस्तु या सेवाएँ।
- अधिक कीमत वसूलना या गलत तरीके से कीमत वसूलना।
- ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को बिक्री के लिये पेश करना जो जीवन और सुरक्षा के लिये जोखिमपूर्ण हो सकती हैं।

अनुचित कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ शिकायत केवल राज्य और राष्ट्रीय CDRCs में फाइल की जा सकती है। जिला CDRC के आदेश के खिलाफ राज्य CDRC में सुनवाई की जाएगी। राज्य CDRC के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय CDRC में सुनवाई की जाएगी। अंतिम अपील का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होगा।

अधिनियम से उपभोक्ताओं को लाभ

- वर्तमान में शिकायतों के निवारण के लिये उपभोक्ताओं के पास एक ही विकल्प है, जिसमें अधिक समय लगता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के माध्यम से विधेयक में त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई है।
- भ्रामक विज्ञापनों के कारण उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी रहती है तथा उत्पादों में मिलावट के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भ्रामक विज्ञापन और मिलावट के लिये कठोर सजा का प्रावधान है ताकि इस तरह के मामलों में कमी आए।
- दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं को रोकने के लिये निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी का प्रावधान होने से उपभोक्ताओं को छानबीन करने में अधिक समय बर्बाद करने की ज़रुरत नहीं होगी।
- उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी और प्रक्रिया का सरलीकरण।
- वर्तमान उपभोक्ता बाजार के मुद्दों- ई कॉमर्स और सीधी बिक्री के लिये नियमों का प्रावधान है।

उपभोक्ता अधिकार

उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिये कानून द्वारा दिये गए अधिकार

- सुरक्षा का अधिकार
- सूचना का अधिकार
- चयन का अधिकार
- क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

उपभोक्ताओं के शोषण का कारण:

- सीमित सूचना
- सीमित आपूर्ति
- सीमित प्रतिस्पर्द्धा
- साक्षरता की कमी

उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएँ

- उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है।
- कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्यवाहियों में शामिल होने और आगे बढ़ने में काफी समय लेते है।
- अधिकांश खरीदारी के समय रसीद नहीं मिलने से प्रमाण जुटाना कठिन हो जाता है।
- बाजार में अधिकांश खरीदारी छोटे फुटकर दुकानों से होती है।
- बाजारों के कार्य करने के लिये नियमों और विनियमों का प्रायः पालन नहीं होता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को लागू करने के कारण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को भारत सरकार द्वारा पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के स्थान पर लागू किया गया था। नए अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को कई कारणों से लागू किया गया था, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **उपभोक्ता संरक्षण ढांचे का आधुनिकीकरण:** पुराना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 अप्रचलित हो चुका था और बाजार में हुए बदलावों और तकनीकी प्रगति को प्रतिबिंबित नहीं करता था। नया अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण ढांचे का आधुनिकीकरण करने और इसे वर्तमान समय के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है।
- **उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने के लिए:** नया अधिनियम अनुचित व्यापार प्रथाओं से सुरक्षा का अधिकार, शिकायतों के निवारण का अधिकार, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा,

क्षमता, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में सूचित होने का अधिकार, और शिकायतों के समय पर और प्रभावी समाधान के लिए सुनवाई और आश्वासन का अधिकार जैसे उपभोक्ता अधिकारों को मान्यता देता है और उन्हें मजबूत करता है।

- **उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक व्यापक और कारगर प्रणाली स्थापित करना :** नए अधिनियम के तहत उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और प्रवर्तन के लिए एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई है। साथ ही, उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है।
- **उपभोक्ता संरक्षण में उभरते मुद्दों का समाधान:** नया अधिनियम ई-कॉमर्स, प्रत्यक्ष बिक्री और उत्पाद दायित्व जैसे उभरते मुद्दों का समाधान करता है। यह ई-कॉमर्स लेनदेन के विनियमन का प्रावधान करता है और उत्पाद निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के दायित्वों को निर्धारित करता है।

उपरोक्त कारणों से यह समझा जाता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उद्देश्य भारत में उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक मजबूत और कुशल प्रणाली प्रदान करना है, जिसमें उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के बीच अंतर

आधार	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
आर्थिक क्षेत्राधिकार	जिला फोरम (20 लाख तक), राज्य आयोग (20 लाख से 1 करोड़ तक), राष्ट्रीय आयोग (1 करोड़ और उससे अधिक)	जिला मंच (1 करोड़ तक), राज्य आयोग (1 करोड़ से 10 करोड़ तक), राष्ट्रीय आयोग (10 करोड़ और उससे अधिक)
नियामक	ऐसा कोई प्रावधान नहीं	केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा
मध्यस्थता	ऐसा कोई प्रावधान नहीं	न्यायालय मध्यस्थता के माध्यम से निपटान के लिए संदर्भित कर सकता है (धारा 80)
एमआरपी/खरीद मूल्य	पहले एमआरपी (MRP) मौद्रिक क्षेत्राधिकार तय करने का मानदंड था।	अब रियायती मूल्य/वास्तविक खरीद मूल्य मानदंड है
ई-कॉमर्स	पहले कोई विशेष उल्लेख नहीं था	अब प्रत्यक्ष विक्रेता पर लागू सभी प्रावधान ई-कॉमर्स तक बढ़ा दिए गए हैं
क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र	जहाँ विक्रेता का कार्यालय है	जहाँ शिकायतकर्ता रहता है या काम करता है
समीक्षा	पहले डीसीएफ के पास समीक्षा करने की शक्ति नहीं थी	अब डीसीएफ के पास समीक्षा करने की शक्ति है
प्राधिकरण	जिला उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता मंच, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग	जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
राज्य आयोग की संरचना	अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य	अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य
अपील	जिला फोरम के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए पहले 30 दिन की अवधि (धारा 15) पहले 50% या 25,000 जो भी कम हो, जमा करना होता था	अब यह 45 दिन है (धारा 41)। अब पुरस्कार राशि का 50%।
अनुचित नियम और शर्तें	ऐसा कोई प्रावधान नहीं	नए अधिनियम की धारा 49(2) और 59(2) क्रमशः राज्य आयोग और एनसीडीआरसी को किसी भी अनुबंध की शर्तों को, जो किसी उपभोक्ता के लिए अनुचित हों, शून्य और अमान्य घोषित करने का अधिकार देती हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के बीच अंतर

दावा किया गया

तीन दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986 की जगह नए उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू होने से पुराने नियमों की खामियाँ दूर हुई हैं। नए कानून में जो बड़ा बदलाव हुआ है वह यह है कि अब कहीं से भी उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है। पहले उपभोक्ता वहीं शिकायत दर्ज कर सकता था, जहाँ विक्रेता अपनी सेवाएँ देता है। ई-कॉमर्स से बढ़ती खरीद को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। क्योंकि विक्रेता किसी भी लोकेशन से अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। इसके अलावा कानून में उपभोक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भी सुनवाई में शामिल होने की इजाजत है, जिससे पैसा और समय दोनों की बचत होगी। इस अधिनियम के लागू होने से उपभोक्ताओं को जहाँ त्वरित न्याय मिल सकेगा। वहीं बढ़े हुए अधिकारों और न्याय क्षेत्र के साथ यह उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान करेगा। अब ताजा-तरीन आंकड़ों के संदर्भ को लेते हुए इन दावों को परखने की कोशिश करते हैं।

तस्वीर का असल पहलू

उपभोक्ता हेल्पलाइन की रिपोर्ट

सबसे पहले, बात राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की। उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट और संसद में सवालों के जवाब में दिए गए, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कुल लगभग 17 से 18 लाख शिकायतें दर्ज कराई गईं जिसमें से 15 से 16 लाख शिकायतों का निस्तारण किया गया। 1.5 से 2 लाख शिकायतें लंबित हैं।

आपको बता दें कि, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन कानूनी अदालत नहीं है, बल्कि शिकायत दर्ज कर संबंधित कंपनी/विभाग तक पहुँचाने और समाधान कराने का मंच है। अधिकांश शिकायतें ऑनलाइन शॉपिंग, टेलीकॉम, बैंकिंग, ई-कॉमर्स, बिजली, गैस और बीमा से जुड़ी होती हैं। लंबित मामलों का कारण आमतौर पर, कंपनियों से जवाब न आना, उपभोक्ता द्वारा अतिरिक्त जानकारी न देन और जटिल या बहु-पक्षीय विवाद हैं।

उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामले

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) तथा देशभर के राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों में लंबित उपभोक्ता मामलों की ताज़ा उपलब्ध सरकारी जानकारी (2024 तक) के अनुसार भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कुल 20000, ले 22 हजार मामले लंबित हैं।

इन मामलों में से अधिकतर जटिल, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, मेडिकल लापरवाही और राज्य आयोगों के फैसलों के खिलाफ की गई अपीलों से संबंधित हैं।

राज्य उपभोक्ता आयोगों में 1.20 लाख से 1.30 लाख मामले लंबित हैं। सबसे ज्यादा जिन राज्यों में मामले लंबित हैं उनमें महाराष्ट्र , उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्यप्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं।

जिला उपभोक्ता आयोगों को देखा जाए तो वहां करीब 3.80 से 4.20 हजार तक मामले लंबित हैं। इसका मुख्य कारण जिला उपभोक्ता आयोगों में सदस्यों/अध्यक्षों के पद खाली रहना, सुनवाई में देरी, मामले सुनवाई बार-बार टालना, डिजिटल सुनवाई व्यवस्था में खामी, कपंनियों और पक्षकारो की अनुपस्थिति एवं बढ़ती ई-कॉमर्स व बैंकिंग शिकायतें शामिल हैं।

स्तर	लंबित मामले (लगभग)
राष्ट्रीय आयोग	20,000 – 22,000
राज्य आयोग	1.20 – 1.30 लाख
जिला आयोग	3.80 – 4.20 लाख
कुल	5.20 – 5.70 लाख

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद (Central Consumer Protection Council – CCPC) उपभोक्ता हितों पर सरकार को सलाह देने वाली सर्वोच्च वैधानिक संस्था है, लेकिन व्यवहार में इसकी कई ढांचे से लेकर इसके कामकाज के तरीकों को लेकर कई तरह की कमियां सामने आई हैं।

सिर्फ सलाहकारी संस्था

सबसे पहले तो, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद केवल सलाहकारी संस्था मात्र है। इसके पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। यानी यह परिषद केवल सलाह देती है, उसकी सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। परिषद की सिफारिशों को मंत्रालय कई बार लंबे समय तक लागू नहीं करता।

बैठकें नियमित नहीं

नियमों के अनुसार परिषद की हर वर्ष कंम से कम एक बैठक जरूर होनी चाहिए परंतु यह बैठकें नियमों के अनुसार नहीं होती, होती भी हैं तो देर से और केवल औपचारिकता के लिए।

कोई फॉलोअप नहीं

परिषद जो भी सिफारिशें करती है या सुझाव देती है उसकी निगरानी के लिए कोई ठोस तंत्र नहीं है। यानी फॉलोअप या तो होता ही नहीं या कमजोर फॉलोअप है। कई बार तो यही पता नहीं चल पाता कि कौन सा सुझाव लागू हुआ और कौन सा नहीं।

राज्यों से समन्वय का अभाव

देखा गया है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण

परिषद एवं राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के बीच संस्थागत रूप से पर्याप्त समन्वय नहीं है। इसकी तमाम वजहें हैं लेकिन इस कारण से राज्यों एवं जिले में लंबित उपभोक्ता मामलों के बारे में केंद्रीय परिषद तक बहुत से जानकारियां साझा ही नहीं हो पातीं।

उपभोक्ता संगठनों का सीमित प्रभाव

उपभोक्ता संरक्षण परिषदों में NGO और उपभोक्ता संगठनों की भागीदारी सिर्फ प्रतीकात्मक बन कर रह गई है। अक्सर जोर-जुगाड़ वाले संगठनों की ही इनमें भागीदारी होती है और वे निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका न के बराबर होती है।

डिजिटल व ई-कॉमर्स मुद्दों पर धीमी प्रतिक्रिया

अक्सर ऐसा देखा गया है कि, परिषद फर्जी ऑनलाइन विज्ञापनों, डार्क पैटर्न, डेटा गोपनीयता एवं ई-कॉमर्स धोखाधड़ी संबेधी मामलों पर बहुत देर से या धीमी प्रतिक्रया देती है। जबकि ऐसे मामलों में तत्परता बरतने की जरूरत होती है।

स्वतंत्र शोध एवं डेटा की कमी

उपभोक्ता संरक्षण परिषद के पास अपना शोध तंत्र नहीं है। उसके सुझाव आमतौर पर सीमित उपलब्ध सरारी आंकड़ों पर आधारित होते हैं। इसके अलावा परिषद के पास कोई नियमित उपभोक्ता सर्वेक्षण का बंदोबस्त नहीं है।

जवाबदेही का अभाव

उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के जागरूकता अभियान मंत्रालय केंद्रित होते हैं। एक आम उपभोक्ता को उससे कितना फायदा हो रहा है यह मायने रखता ही नहीं। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकों के निर्णयों एवं सिफारिशों की मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर जानकारी या तो होती ही नहीं या बहुत ही कम इस बारे में जानकारी होती है। इसी का नतीजा है कि वह आज तक एक जवाबदेह संस्था के रूप में अपनी क्षवि विकसित नहीं कर पाई।

मध्यस्थता

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत मध्यस्थता (Mediation) एक नई और वैकल्पिक विवाद निपटान व्यवस्था के रूप में शुरू की गई है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता आयोगों से जुड़े मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से उपभोक्ता विवादों का निपटारा किया जा रहा है। 2020 से 2024 तक अनुमानित अधिकृत आंकड़ों के अनुसार, मध्यस्थता के लिए कुल 65000 से 70,000 मामले भेजे गए और इनमें से कुल 38000 ले 42000 मामलों का निपटारा आपपसी सहमति से हो गया।

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के समक्ष कुलल 6000 मामले मध्यस्थता के लिए आए उनमें से आधे का निस्तारण हो गया। राज्य आयोगों मे 12,000 मामले सामने आए जिनमें से 7000 मामलों का निपटारा हो गया। इसी तरह से जिला आयोगों में मध्यस्थता के लिए करीब 50000 मामले लाए गए जिनमें से 30000 मामलों का निस्तारण हो गया।

मध्यस्थता से बैंकिंग व वित्तीय सेवाएँ, बीमा दावे, ई-कॉमर्स रिफंड, टेलीकॉम सेवाएँ एवं मेडिकल बिलिंग विवाद संबंधी मामलों का निपटारा अधिक हुआ। मध्यस्थता को लेकर बहुत सी खामियां भी सामने आई, जैसे, सभी जिलों में पूर्ण रूप से कार्यशील मध्यस्थता केंद्र नहीं हैं। प्रशिक्षित मध्यस्थों की कमी है। कई पक्षकार समझौते को तैयार ही नहीं होते हैं। यह बात भी सामने आई कि जटिल एवं नीतिगत मामलों में मध्यस्थता का तरीका उपयुक्त नहीं है।

हालांकि सरकार का दावा है कि मध्यस्थता जैसे तरीकों को बढ़ावा देने के लिए वह उसे ई-दाखिल पोर्टल से जोड़ रही है। ऑनलाइन/हाइब्रिड मध्यस्थता पर काम कर रही है और आयोगों को प्राथमिक स्तर पर मध्यस्थता अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।

-लेखक ग्रामीण उपभोक्ता के संपादक हैं

क्या किया जाना चाहिए ?

- विशेषज्ञों के अनुसार, उपभोक्ता संरक्षण परिषद को अगर प्रभावी और उपयोगी बनाना है तो कई सुधारों की आवश्कता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि-
- परिषद को प्रभावी बनाने के लिए उसे अर्ध-न्यायिक या बाध्यकारी शक्तियाँ देना जरूरी है।
- परिषद की वार्षिक रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- स्थायी रिसर्च और डाटा सेल बनाया जाना चाहिए।
- राज्यों के साथ नियमित संवाद मंच का मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए।
- ई-कॉमर्स और डिजिटल उपभोक्ता मामलों पर विशेष उप-समितियों का गठन विशेष रूप से कारगर हो सकता है।

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
2025
International Year
of Cooperatives
Cooperatives Build
a Better World
जब तकनीक और प्रकृति हों साथ,
तब हम कहलाते हैं
प्रगति की खाद
नैनो
यूरीया
नैनो
डीएपी
नैनो
कॉपर
नैनो
ज़िंक
IFFCO
NANO
UREA
PLUS
IFFCO
NANO
DAP
IFFCO
NANO
COPPER
(0.8% Cu w/w)
IFFCO
NANO
ZINC
(1.0% Zn w/w)

सत्यम

‘संचार साथी’ से सुरक्षा के साथ साइबर अपराध पर लगाम

लाखों चोरी हुए या खोए फोन बरामद, तीन करोड़ से ज्यादा फर्जी कनेक्श कटे

सरकार का दावा है कि संचार साथी ऐप दूरसंचार क्षेत्र में साइबर अपराध और धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया गया है। इस ऐप की सहायता से अब तक सात लाख से ज्यादा चोरी हुए या खोए हुए फोन वापस मिल चुके। तीन करोड़ से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन भी इसकी मदद से कट चुके हैं। यही नहीं 37 लाख से ज्यादा चोरी के डिवाइस अब तक संचार साथी की सहायता से ब्लॉक किए गए हैं।

संचार साथी ऐप क्या है?

संचार साथी ऐप सरकार का बनाया साइबर सिक्योरिटी टूल है, इस ऐप को सबसे पहले साल 2023 में वेब पोर्टल के तौर पर शुरू किया गया था। इस पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को मोबाइल से जुड़े साइबर हमले और डिवाइस से जुड़ी सुरक्षा मुहैया कराना था। इसकी उपयोगिता को देखते हुए सरकार, जनवरी 2025 में मोबाइल ऐप लेकर आई थी। यह ऐप एंड्रायड और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों पर उपलब्ध है और ये पूरी तरह से फ्री है। ये ऐप काफी लोकप्रिय है और इसे पांच करोड़ से ज्यादा डाउनलोड किया जा चुका हैं। केंद्र सरकार ने दिसंबर में अचानक इसे हर मोबाइल में प्री-इंस्टाल करना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र में इसका जमकर विरोध हुआ तो केंद्र सरकार ने एलान किया कि यह ऐप अनिवार्य नहीं होगा। केंद्र सरकार का कहना था कि इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके मोबाइल नंबर और डिवाइस से जुड़ी सुरक्षा उपलब्ध कराना था। बाद में इसे और उपयोगी बनाते हुए जनवरी 2025 में मोबाइल ऐप के रूप में पेश किया गया।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भारत में इस्तेमाल होने वाले सभी मोबाइल फोन में संचार साथी मोबाइल ऐप प्री-इंस्टाल होना अनिवार्य कर दिया था। आदेश में कहा गया था कि फोन निर्माता और आयातक यह सुनिश्चित करें कि नया फोन चालू करते ही या पहली बार सेटअप करते समय यह ऐप उपयोगकर्ता को दिखे और इसे किसी भी तरह से छिपाया या बंद न किया जा सके। जो फोन पहले बिक चुके हैं उनमें यह ऐप साफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से उपलब्ध कराना होगा। सरकार का मानना है कि

संचार साथी ऐप दूरसंचार क्षेत्र में साइबर अपराध और धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया गया है। दावा है कि इस ऐप की सहायता से अब तक सात लाख से ज्यादा चोरी हुए या खोए हुए फोन वापस मिल चुके। तीन करोड़ से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन भी इसकी मदद से कट चुके हैं। यही नहीं 37 लाख से ज्यादा चोरी के डिवाइस अब तक संचार साथी की सहायता से ब्लॉक किए गए हैं।

प्री इंस्टाल की अनिवार्यता पर सरकार की सफाई

मोबाइल फोन में ‘संचार साथी” ऐप के प्री इंस्टाल की अनिवार्यता पर विपक्ष के हंगामे के बाद केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई दी है। सिंधिया ने ऐप को लेकर जारी भ्रम को दूर करते हुए कहा कि विपक्ष संचार ऐप को लेकर लोगों को भ्रमित कर रहा है। ये पूरी तरह वैकल्पिक (आप्शनल) है। ये यूजर पर है कि इस ऐप को वो अपने मोबाइल में रखना चाहता है या नहीं। विपक्ष ने संचार साथी ऐप को इंस्टाल करने के निर्देश को निजता का उल्लंघन बताते हुए सरकार की ओर से जासूसी की कोशिश बताया था।

सिंधिया ने कहा कि संचार साथी ऐप से जासूसी करना न तो संभव है, न ही जासूसी होगी। सिंधिया ने ऐप को लेकर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सवालों के जवाब पर कहा-

पहल

फीडबैक पर मंत्रालय ने ऐप इंस्टॉल करने के आदेश में बदलाव किया है।

टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने कहा कि संचार साथी ऐप की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने मोबाइल बनाने वाली कंपनी के लिए प्री-इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता खत्म कर दी है। टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र में जिस समय इस पर प्रश्न उठाया उस समय तक 1.40 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। दो दिन में अपनी मर्जी से ऐप डाउनलोड करने वालों की संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है।

विपक्ष का आरोप- जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का नया वर्जन

विपक्ष ने दूर संचार मंत्रालय पर हमला बोलते हुए इसे जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का नया वर्जन तक बता दिया। विपक्ष के हंगामे के बाद भले ही संचार साथी मोबाइल ऐप की अनिवार्यता पर रोक लगा दी गई हो लेकिन ये जानना जरूरी हो जाता है कि इसे लाया क्यों गया है।

सरकार की दलील

सरकार का तर्क है कि संचार साथी ऐप के मोबाइल में प्री इंस्टॉल होने से साइबर अपराध और धोखाधड़ी को रोकने में आसानी होगी। विपक्ष ने इसे नागरिकों की 'जासूसी" का प्रयास बताते हुए केंद्र सरकार पर 'तानाशाही" थोपने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने राज्यसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हो सकी।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा- यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। यह एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। साइबर धोखाधड़ी रोकने लिए सिस्टम जरूरी है, लेकिन सरकार का यह आदेश लोगों की निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल जैसा है। सरकार का संचार साथी ऐप को प्रीलोड करने का प्रस्ताव, और फिर उसे वापस लेना, दिखाता है कि डिजिटल नीतियाँ सिर्फ टेक-फीचर्स नहीं, बल्कि नागरिकों की आज़ादी, गोपनीयता और भरोसे का सवाल भी होती हैं।

विपक्ष के साथ ही कंई मोबाइल कंपनियां भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने केंद्र सरकार द्वारा 'संचार साथी ऐप" के अनिवार्य प्री-इंस्टॉल के फैसले को वापस लेने पर कहा कि यह उन सभी ताकतों, उन सभी पत्रकारों, वकीलों और लोगों की जीत है जिन्होंने कहा था कि यह एक मनमाना और तानाशाही फैसला है और उनका (सरकार) पीछे हटना दिखाता है कि वे बिना सोचे-समझे काम कर रहे हैं, यह सरकार दिशाहीन है। यह एक यू टर्न वाली सरकार है। आदेश में एपल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और शाओमी जैसी मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया था। यह भी कहा गया था कि इस ऐप को यूजर्स डिसेबल नहीं कर सकेंगे। पुराने फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह ऐप इंस्टॉल किया जाएगा।

एपल ने सरकार ने निर्देशों को मानने से इंकार किया

कंपनी का मानना है कि इस तरह की अनिवार्यता उसके डिवाइसों की प्राइवेसी और सुरक्षा संरचना पर असर डाल सकती है। कंपनी की ग्लोबल पॉलिसी में स्पष्ट है- सरकारी या थर्ड-पार्टी एप्स को डिवाइस की बिक्री से पहले उसमें प्री-इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। एपल आईओएस को क्लोज्ड सिस्टम रखती है, जहां एप स्टोर के अलावा कोई एप नहीं आ सकता।

संचार साथी ऐप को सरकार ने वापस क्यों लिया?

संचार साथी एप को लेकर पूरा विवाद 28 नवंबर को शुरू हुआ, जब दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने सभी मोबाइल फोन निर्माताओं

को एक आदेश जारी किया था। इसमें कंपनियों को भारत में बेचे जाने वाले सभी नए मोबाइल फोन के साथ-साथ मौजूदा हैंडसेटों में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया था। राजनीतिक दलों के पुरजोर विरोध पर केंद्र सरकार ने 'संचार साथी" ऐप के प्री-इंस्टॉलेशन (पहले से डाउनलोड) के फैसले को वापस ले लिया है। टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने कहा कि संचार साथी एप की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने मोबाइल बनाने वाली कंपनी के लिए प्री-इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता खत्म कर दी है। यह बदलाव डिजिटल गोपनीयता, उपयोगकर्ता स्वतंत्रता, और टेक-निर्माताओं की आज़ादी से जुड़ी बहसों के बीच हुआ।

संचार साथी ऐप कैसे काम करता है?

संचार साथी ऐप सीधे तौर पर टेलीकॉम सिक्योरिटी प्रणाली (टीसीआईआर) से अटैच है। टेलीकॉम सिक्योरिटी प्रणाली केंद्रीय डेटाबेस है। इस पर डेटाबेस में मोबाइल फोन का आईएमईआई नंबर दर्ज रहता है। सरकार की ओर से बताया गया है कि ये यूजर को सुरक्षा प्रदान करता है और इसकी मदद से डिजिटल ठगी को रोका जा सकता है। ये एक ऐसा टूल है जो आपके फोन को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है और आपकी पहचान के दुरुपयोग को रोकने में मदद करता है। अगर किसी के साथ भी किसी तरह का फ्रॉड होता है तो इसकी मदद से तुरंत सरकार मदद उपलब्ध कराई जाती है।

इस ऐप को जब भी कोई मोबाइल यूजर इंस्टॉल करता है तो सबसे पहले उसका मोबाइल नंबर डालने को कहा जाता है। नंबर डालने के बाद फोन पर एक ओटीपी आता है। इसे डालते ही फोन सीधे ऐप से जुड़ जाता है। ऐप से जुड़ते ही मोबाइल का आईएमईआई नंबर केंद्रीय डेटाबेस में पहुंच जाता है। पहले ऐप ये जांचता है कि आपका फोन वैध है या कहीं चोरी का तो नहीं है। अगर आपका मोबाइल फोन कहीं खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो यह ऐप आपकी मदद कर सकता है। इस ऐप की मदद से आप अपने फोन को तुरंत ब्लॉक करा सकते हैं ताकि कोई भी उसका दुरुपयोग न कर सके। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस मोबाइल में अपनी सिम डालकर चलाने की कोशिश करता है, तो ऐप उसके नेटवर्क की जानकारी को ट्रेस करके आपको सूचित कर देता है। फोन वापस मिल जाने पर उसी ऐप से ब्लॉक हटवाना भी आसान है। पूरी प्रक्रिया मोबाइल के आईएमईआई नंबर पर आधारित होती है।

उपभोक्ता के लिए कैसे फायदेमंद है?

यह ऐप आपके आधार/आईडी पर जारी किए गए सभी मोबाइल कनेक्शनों की सूची एक क्लिक में दिखा देता है। इसके जरिए आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कहीं कोई अनजान या फर्जी मोबाइल नंबर आपकी पहचान पर तो नहीं चल रहा। अगर ऐसा कोई नंबर मिलता है, तो आप सीधे इसी ऐप के जरिए उसे बंद कराने के लिए अनुरोध भेज सकते हैं। इस ऐप में ऐसी सुविधा भी है जिससे आप तुरंत स्पैम या फ्रॉड कॉल, एसएमएस और व्हॉट्सएप मैसेज की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें बैंक केवाईसी, बिजली या गैस बिल से जुड़ी ठगी, बीमा या निवेश घोटाले, सरकारी कर्मचारी बनकर धोखाधड़ी जैसे मामलों की भी रिपोर्ट की जा सकती है। ध्यान रहे, साइबर अपराध की एफआईआर या आधिकारिक शिकायत यहां नहीं होती। किसी भी तरह का साइबरक्राइम दर्ज कराने के लिए आपको अभी भी सरकारी पोर्टल साइबरक्राइम डॉट गौव डॉट इन पर जाना होगा।

–लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं

ग्रामीण उपभोक्ता डेस्क

हत्वी का छोटा भीम तो अभिराम का मोटू-पतलू...!

बच्चों के तौर-तरीकों पर कार्टूनों का गहरा असर, भाषा हो या अनुशासन बच्चों पर गहरा प्रभाव

नोएडा में रहने वाली 6 साल की हत्वी शहर के एक नामी स्कूल में पढ़ती है। पढ़ाई मे वो खासी तेज है। स्कूल से मिला होमवर्क करने में वो कभी कोताही नहीं करती लेकिन जैसे ही उसे समय मिलता है तो उसका एकमात्र शौक टीवी के सामने बैठ जाना है और अपने मनपसंद कार्टून का मजा लेना है। खेलने-कूदने में उसकी दिलचस्पी न के बराबर है। हत्वी जैसा ही हाल अभिराम का है। उनकी उम्र तो और कम है। दो-ढाई साल लेकिन खाना बिना कार्टून के खाने के का सवाल ही नहीं उठता। मां-बाप परेशान हैं लेकिन चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि लत तो उन्ही की लगाई हुई है। खैर, हत्वी और अभिराम की कहानी हर घर के बच्चों की कहानी है। आधुनिक भारत में बच्चों की दुनिया तेज़ी से बदल रही है। जहाँ पहले बच्चों का बचपन मिट्टी के खिलौनों, गलियों के खेल, लोककथाओं और दादी-नानी की कहानियों में बीतता था, वहीं आज का बचपन स्क्रीन के चारों ओर सिमटता जा रहा है। टेलीविजन, मोबाइल फोन, टैबलेट और इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव ने बच्चों के मनोरंजन के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है। इस बदले हुए परिदृश्य में कार्टून बच्चों के सबसे प्रिय और प्रभावशाली साथी बन चुके हैं। कार्टून अब केवल हँसी-मज़ाक या समय बिताने का साधन नहीं रहे। वे बच्चों की भाषा, सोच, व्यवहार, आदतों, रुचियों और यहाँ तक कि उनके सपनों को भी आकार देने लगे हैं। भारत जैसे सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों से भरपूर देश में बच्चों को लुभाने वाले कार्टूनों की भूमिका इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

बच्चों को कार्टून पसंद क्यों?

बच्चों का मन स्वभाव से ही चंचल, जिज्ञासु और कल्पनाशील होता है। कार्टून इस स्वभाव को सीधे छूते हैं। चमकीले रंग, तेज़ गति, मज़ेदार आवाज़ें और सरल कथानक बच्चों को तुरंत आकर्षित कर लेते हैं। कार्टूनों की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता—जानवर बोलते हैं, बच्चे उड़ते हैं, जादू से समस्याएँ हल हो जाती हैं और हर कहानी का अंत रोमांच से भरा होता है। कार्टून पात्र अक्सर बच्चों जैसे ही होते हैं-शरारती, जिज्ञासु, कभी डरपोक तो कभी साहसी। बच्चे स्वयं को इन पात्रों में देखने लगते हैं और उनसे भावनात्मक जुड़ाव बना लेते हैं। यही कारण है कि एक ही कार्टून एपिसोड को बच्चे बार-बार देखने में भी ऊबते नहीं हैं।

भारत में कार्टून संस्कृति

भारत में कार्टूनों का इतिहास अपेक्षाकृत नया है। शुरुआती दौर में भारतीय बच्चे मुख्यतः विदेशी कार्टूनों पर निर्भर थे। धीरे-धीरे भारतीय एनीमेशन उद्योग ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। आज भारत में न केवल कार्टून देखे जाते हैं, बल्कि बनाए भी जा रहे हैं, और वे बच्चों को लुभाने में पूरी तरह सक्षम हैं। भारतीय कार्टूनों की खासियत यह है कि वे स्थानीय संस्कृति, भाषा, परिवेश और मूल्यों से जुड़े होते हैं। गाँव, परिवार, दोस्ती, त्योहार और पौराणिक कथाएँ इन कार्टूनों में प्रमुखता से दिखाई देती हैं, जिससे बच्चे अपने आसपास की दुनिया से जुड़ाव महसूस करते हैं।

भारत में बच्चों के पसंदीदा कार्टून (भारतीय कार्टून)

छोटा भीम...छोटा भीम भारतीय कार्टून जगत का सबसे प्रसिद्ध नाम है। इसकी कहानी ढोलकपुर नामक काल्पनिक गाँव में आधारित है, लेकिन इसके मूल्य पूरी तरह भारतीय हैं। भीम का साहस, बल, न्यायप्रियता और मित्रों के प्रति समर्पण बच्चों को प्रेरित करता है। यह कार्टून बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है।

मोटू-पतलू...यह हास्य प्रधान कार्टून बच्चों में अत्यंत लोकप्रिय है। मोटू और पतलू की दोस्ती, उनकी मज़ेदार समस्याएँ और सरल समाधान बच्चों को हँसाते भी हैं और यह भी सिखाते हैं कि मुश्किल समय में दोस्त साथ देते हैं।

शिवा...शिवा एक आम भारतीय बच्चे का प्रतिनिधित्व करता है, जो असाधारण साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर अपराध से लड़ता है। यह कार्टून बच्चों में आत्मविश्वास, सतर्कता और जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है।

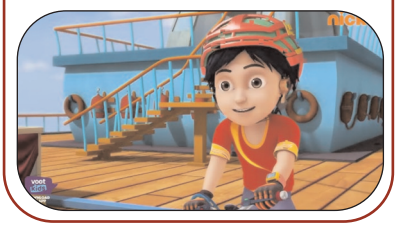

लिटिल कृष्णा, बाल गणेश, हनुमान...ये कार्टून भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। इनके माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से परिचित होते हैं। ये कार्टून नैतिक मूल्यों, भक्ति, साहस और सत्य का महत्व बताते हैं।

भारत में बच्चों के पसंदीदा कार्टून (विदेशी कार्टून)

डोरेमॉन...जापान का यह कार्टून भारत में बेहद लोकप्रिय है। डोरेमॉन के जादुई गैजेट्स बच्चों को आकर्षित करते हैं, लेकिन कई बार यह बच्चों में अव्यावहारिक अपेक्षाएँ भी पैदा करता है।

शिनचैन...यह कार्टून अपने शरारती और कभी-कभी अभद्र व्यवहार के कारण विवादों में रहा है। कुछ अभिभावक इसे बच्चों के लिए अनुचित मानते हैं।

टॉम एंड जेरी, पोकेमॉन, बेन 10... ये कार्टून रोमांच, हास्य और एक्शन से भरपूर हैं और बच्चों को लंबे समय तक बाँधे रखते हैं।

मनोवैज्ञानिक शुचि कुमार का कहना है कि, बच्चों पर कार्टूनों का गहरा असर पड़ता है। कई बार वो मानसिक तौर पर कार्टूनों के लती हो जाते हैं और उनके बर्ताव से लेकर भाषा तक में उन कार्टूनों के झलक मिलती है जिसे वे पसंद करते हैं।

कार्टूनों का बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव

शुचि कुमार के अनुसार, यदि कार्टूनों का चयन सही ढंग से किया जाए और देखने का समय सीमित रखा जाए, तो उनके कई सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहला तो, बच्चों में कल्पनाशक्ति और रचनात्मकता का विकास होता है। कार्टून बच्चों को नई-नई कल्पनाएँ करने सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा, बच्चों की भाषा और अभिव्यक्ति में सुधार होता है। बच्चे नए शब्द, संवाद शैली और भाव-भंगिमा सीखते हैं।

उनका कहना है कि, इसके अलावा बच्चों में नैतिकता का विकास भी होता है। दोस्ती, ईमानदारी, साहस, सहयोग और सच्चाई जैसे गुण कई कार्टूनों में दिखाए जाते हैं। कार्टूनों के जरिए बच्चों का मनोरंजन भी होता है। कार्टून बच्चों को हँसाते हैं, जिससे तनाव कम होता है।

इसके साथ ही, बच्चों का अपनी संस्कृति से जुड़ाव भी होता है। भारतीय कार्टून बच्चों को अपनी परंपराओं और मूल्यों से जोड़ते हैं।

बच्चों पर उलटा असर

शुचि कुमार कार्टूनों के नकारात्मक असर के बारे में भी बताती हैं। वे कहती हैं कि, कार्टूनों

के दुष्प्रभाव भी कम गंभीर नहीं हैं, विशेषकर जब बच्चे बिना नियंत्रण के लंबे समय तक उन्हें देखते हैं। वे बताती हैं कि, अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बच्चों में आँखों की समस्या, नींद की कमी और शारीरिक निष्क्रियता बढ़ती है। उनका व्यवहार हिंसक और आक्रामक हो सकता है। एक्शन और मार-धाड़ वाले कार्टून बच्चों को आक्रामक बना सकते हैं। उनमें अनुशासनहीनता बढ़ सकती है। शरारती पात्रों की नकल बच्चे वास्तविक जीवन में करने लगते हैं। वे आगे बताती हैं कि कार्टूनों से बच्चों में काल्पनिकता बढ़ जाती है और बच्चे वास्तविक जीवन की समस्याओं से भागने लगते हैं। इसके साथ बच्चें पढ़ाई और खेल-कूद से दूरी बनाने लगते हैं। कार्टून की लत बच्चों को किताबों और खेलकूद से दूर कर देती है।

माता-पिता और टीचर क्या करें ?

कार्टूनों के प्रभाव को संतुलित करने में अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका सबसे अहम है।

सबसे पहले को बच्चों के लिए कार्टून देखने की समय सीमा तय की जानी चाहिए और उम्र और मानसिक स्तर के अनुसार उपयुक्त कार्टून चुनने चाहिए। माता-पिता या जो भी मौजूद हो कोशिशश करे कि बच्चों के साथ बैठकर कार्टून देखा जाए और बच्चों को उनके संदेश समझाने का प्रयास किया जाए।

कोशिश करनी चाहिए कि, बच्चों को खेल, किताबें, कला और संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि कार्टून कल्पना हैं, वास्तविकता नहीं।

भारतीय एनीमेशन उद्योग की भी जिम्मेदारी

आज भारतीय एनीमेशन उद्योग तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उसकी जिम्मेदारी केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बच्चों के लिए बनने वाली सामग्री में नैतिकता, संस्कृति, संवेदनशीलता और सामाजिक मूल्यों का समावेश आवश्यक है। कार्टून भविष्य की पीढ़ी को गढ़ते हैं, इसलिए उनका उद्देश्य केवल लाभ नहीं, बल्कि राष्ट्र और समाज निर्माण भी होना चाहिए।

भारत में बच्चों को लुभाने वाले कार्टून आधुनिक बचपन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। वे बच्चों के मित्र भी हैं और शिक्षक भी। कार्टून न तो पूरी तरह अच्छे हैं और न ही पूरी तरह बुरे—उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे और कितना देखा जा रहा है। यदि अभिभावक, शिक्षक, समाज और कार्टून निर्माता मिलकर संतुलन बनाएँ, तो कार्टून बच्चों के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम बन सकते हैं। जरूरत इस बातकी है कि हम कार्टूनों को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का माध्यम बनाएँ।

ग्रामीण उपभोक्ता टीम

बीयर मानकों से शुरू होती है उपभोक्ता कानूनों की कहानी

मिलिए, दुनिया के सबसे पुराने उपभोक्ता कानून से

जानकारी कॉलम में ग्रामीण उपभोक्ता के इस अंक में हम आपको एक रोचक जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी आपको रुचिकर लगेगी और इससे ये पता चलेगा कि उपभोक्ता अधिकारों को लेकर दुनिया हमसे कितने आगे है। दुनिया में आज का उपभोक्ता आंदोलन तो बस ये मानिए कि बमुश्किल 50 – 60 साल पुराना होगा। हमारे देश की कहानी तो और विचित्र है। यहां तो आज भी उपभोक्ता अधिकारों की बात करना कुछ ही लोगों को समझ में आता है। ज्यादातर लोग इसे भरे पेट वालों की कहानी मानते हैं। खैर, हम आपको जर्मनी के एक ऐसे उपभोक्ता कानून से परिचित कराएंगे जिसे दुनिया का सबसे पुराना उपभोक्ता कानून माना जा सकता है। माने भी क्यों न आखिर ये है भी तो 500 साल पुराना। आपको ये जानकर अचंभा होगा कि जर्मनी यूरोप में सबसे अधिक बीयर उत्पादन करने वाला देश है और वहां करीब साढ़े पांच हजार किस्म के बीयर ब्रांड उपलब्ध हैं।

जर्मनी का बीयर शुद्धता कानून करीब 500 साल पुराना हो चला है। लोग ऐसा मानते हैं कि शायद ये दुनिया का सबसे पुराना उपभोक्ता कानून है। अगर इतिहास में पीछे जाएं तो ये कानून वर्ष 1516 में बनाया गया था। तब तो भारत में बाबर भी नहीं आया था और उपभोक्ता जैसे शब्द तो तब गढ़े ही नहीं गए थे। ये कानून बना क्यों और इसके पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल जब ये कानून बना उस समय पीने के साफ पानी का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होता था लोग ज्यादातर प्रकृतिक जल संसाधनों, नदियों और झीलों या तालाबों से ही पीने का पानी लेते थे। इस बीच, वहां बीयर का कारोबार जोरशोर से चल रहा था और लोग पानी के बजाए बीयर जमकर पी रहे थे।

ऐसे में सवाल ये ता कि कहीं बीयर की बढती मांग उसकी शुद्धता को प्रभावित न करे इसलिए सरकार ने बीयर को लेकर एक कानून बना दिया। इस कानून में कारोबारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा गया कि बीयर बनाने में पानी, होप्स और जौ का इस्तेमाल ही हो ताकि उसकी शुद्धता कायम रह सके। होप्स एक तरह का पौधा होता है जिसका इस्तेमाल शराब बनाने में होता है। इस कानून का मकसद बीयर पीने वाले उपभोक्ताओं के हित का ध्यान रखना था ताकि बीयर की उच्च कोटि की गुणवत्ता बनी रहे और उससे उपभोक्ताओं को किसी तरह का कोई नुकसान न हो।

इसीलिए हम इसे दुनिया का पहला उपभोक्ता कानून मान सकते हैं जिसने पहली बार उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद के मानक तय किए। अब हम आपको इस कानून के बारे में बताते हैं।

कैसा है बीयर शुद्धता कानून?

जर्मन भाषा में इस कानून के लिए राइनहाइट्सगेबॉट शब्द का इस्तेमाल होता है जिसका मतलब बीयर की शुद्धता को बनाए रखने से है। यानी इस कानून का मकसद साफ है। कानून के अनुसार बीयर बनाने में होप्स, पानी और जौ के अलावा किसी और चीज का

- पांच सौ साल पुराना है जर्मनी का बीयर शुद्धता कानून
- उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए पहली कानूनी पहल

इस्तेमाल नहीं हो सकता। 1516 में इस कानून को बावेरिया राज्य में ही लागू किया था। 1871 में जब बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण की बात की तो बावेरिया ने शर्त रखी कि बीयर शुद्ता कानून को पूरे जर्मनी में लागू करना होगा। बात मान ली गई और तब से ये कानून पूरे जर्मनी में लागू हो गया।

क्यों जीवित है ये कानून?

सवाल ये उठता है कि सदियां बदल गई दुनिया इधर से उधर हो गई लेकिन ये कानून कैसे अब तक जीवित है और क्यों जीवित है ?

इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल जर्मनी के लोगों को अपने इस कानून से बेहद लगाव है। वे अब भी इस कानून और शुद्धता पर उसकी शर्तों को लेकर बेहद संजीदा हैं। वे जानते हैं कि वक्त बहुत बदल चुका है किसी भी उत्पाद में अब तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है और जिन चीजों से बीयर बन रही है उसमें तमाम नई चीजें आ चुकी हैं। आज की तारीख में होप ही 200 किस्म का मिलता है। लेकिन फिर भी जर्मन लोग अपने कानून से मुंह मोड़ने को तैयार नहीं। वर्ष 2013 में जर्मन बीयर एसोसिएशन ने इस कानून को यूनेस्को की हेरिटेज सूची में डलवाने की कोशिश की थी लेकिन यूनेस्को ने मना कर दिया। जर्मन लोगों को ये बात नागवार गुजरी। वे अपनी बीयर से और उसकी शुद्धता से अब भी बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए इस कानू के पांच सौ साल पूरा होने की खुशी में जर्मनी में जश्न मनाया जा रहा है और लोग दीवानगी की हद तक इसमें डूबे नजर आ रहे हैं।

कानून पर सवाल भी उठते रहे हैं

अपने में इतिहास को समेटे भले ही ये कानून अपने आप में एक गाथा है लेकिन समय समय पर इसे लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। कभी दलील दी गई कि इस कानून के कारण जर्मनी के बीयर उद्योग का बहुत नुकसान हुआ। आधुनिक तकनीक के आने के साथ ये बात भी उठी की इस कानून में ये गुंजाइश होनी चाहिए कि जर्मनी में बीयर कारोबार से जुड़े लोग इसके अवयवों में फेरबदल कर सकें। यूरोपीय संघ ने भी इस कानून को लेकर कई बार नाराजगी जताई है।

इंस्टीट्यूट फॉर प्योर बीयर के मानद अध्यक्ष हर्बर्ट फ्रांकेनहाउसेर ने अंग्रेजी पत्रिका स्पीगल को दिए एक इंटरव्यू में इस कानून की तारीफ करते हुए इसे तमाम कमियों के खिलाफ एक सुरक्षा चक्र बताया है। उन्होंने इसे विदेशी बीयर की बुराइयों से लड़ने वाले एक कारगर हथियार की संज्ञा दी है।

कुछ लोग इस कानून को थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। हैम्बर्ग के निवासी और बीयर के व्यवसायी वेसलोह का कहना है कि ये कानून दुनिया का सबसे पुराना मार्केटिंग अभियान है और उससे उपभोक्ता को भरोसे में लेकर लगातार धोखे का शिकार बनाया जाता रहा है। उदाहरण के लिए प्रोवीजनल बीयर लॉ ऑफ 1993 के तहत अगर बीयर में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता तो उसके खिलाफ बीयर शुद्धता कानून मौन रहता है और कुछ नहीं कहता। खैर, ये आरोप हैं। क्या ये कम दिलचस्प नहीं कि आज से पांच सौ साल पहले किसी उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर सोचा गया और उसे सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए गए।

10 खास बातें

- जर्मनी का बीयर शुद्धता कानून 500 साल पुराना
- उपभोक्ता हितों के संरक्षण का पहला कानूनी दस्तावेज
- जर्मनी में मनाया जा रहा है इस कानून का जश्न
- शुरू में ये कानून सिर्फ बावेरिया राज्य में लागू था
- 1871 में बिस्मार्क ने इसे पूरे जर्मनी में लागू किया
- कानून ने बीयर की शुद्धता के मानक तय किए
- जर्मन लोगों को कानून से बेहद लगाव
- यूनेस्को से इसे हेरिटेज सूची में डालने की अपील
- यूनेस्को के इनकार से जर्मनी खफा
- यूरोपीय संघ ने इस कानून का विरोध किया

fssai

Eat Right India
Healthy. Safe. Fortified.
Led by FSSAI under the Ministry of Health and Family Welfare

Combat Food Adulteration

DART Book:
check food adulterants
at home

Food Safety on Wheels:
Mobile food-testing lab

100+ tests of
food adulterants for
schoolchildren

275+
notified labs for
all tests

www.fssai.gov.in

आशीष मिश्र

क्योंकि मैं राजपथ हूं...

आज ये सब मैं क्यों सुना रहा हूं? दरअसल मैं सुनाना कुछ नहीं चाहता मैं तो बस चुपचाप, निशब्द साक्षी बनता रहा हूं। इतिहास को खुद में संजोए हूं मैं। भारत के लोकतंत्र का सबसे प्रभावशाली और प्रतीकात्मक मंच रहा हूं मैं। मै सिर्फ कोई एक भौगोलिक मार्ग नहीं, बल्कि सत्ता और जनता, शासन और संघर्ष, परंपरा और परिवर्तन के बीच निरंतर चलने वाले संवाद का साक्षी रहा हूं।

मैं राजपथ हूं। अब लोग मुझे कर्तव्य पथ के नाम से जानने लगे हैं। लेकिन मन की बात कहूं मेरे पुराने नाम मे जो बात थी न वो इस नए में कहां। राजनीति है। मैंने इस देश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। राजे-महाराजे से लेकर, गोरों और फिर अब अपने लोकतंत्र को। बड़ी-बड़ी सताओं को, हुक्मरानों को ढेर होते देखा है। झंडों को बदलते देखा है। मैने गांधी के शव की भारत के सपनों के साथ बिदाई देखी है। बहुत कुछ देखा है। बहुत कुछ देखना बाकी है।

खैर, आज ये सब मैं क्यों सुना रहा हूं? दरअसल मैं सुनाना कुछ नहीं चाहता मैं तो बस चुपचाप, निशब्द साक्षी बनता रहा हूं। इतिहास को खुद में संजोए हूं मैं। भारत के लोकतंत्र का सबसे प्रभावशाली और प्रतीकात्मक मंच रहा हूं मैं। मै सिर्फ कोई एक भौगोलिक मार्ग नहीं, बल्कि सत्ता और जनता, शासन और संघर्ष, परंपरा और परिवर्तन के बीच निरंतर चलने वाले संवाद का साक्षी रहा हूं।

आज मैं तुमको बीते साल की कहानी सुनाता हूं, नया साल तो अभी शुरू हुआ है। इसकी कहानी अगले साल।

बीते साल की बात करूं तो वह सत्ता, संघर्ष, सवाल और संकल्प का जीवंत दस्तावेज रहा। वो साल राजनीतिक रूप से जितना उथल-पुथल भरा रहा, उतना ही वैचारिक और सामाजिक दृष्टि से भी निर्णायक साबित हुआ। मैंने 2025 में उत्सव की भव्यता भी देखी, आक्रोश की तीव्रता भी, लोकतांत्रिक सवालों की गूंज भी और नए भारत के आत्मविश्वास की झलक भी देखी।

सबसे पहले बात शुरू करता हूं गणतंत्र दिवस समारोह 2025 की। इस समारोह में सच कहूं तो विकसित भारत के आत्मविश्वास की कुछ-कुछ झलक देखने को मिली।। साल की शुरुआत 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के साथ हुई। इस दिन यहां आयोजित परेड केवल एक औपचारिक सैन्य प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह राजनीतिक संदेश, राष्ट्रीय दृष्टि और वैचारिक प्रस्तुति का मंच जैसा लग रही थी।

परेड में मैंने जो देखा उससे लगा कि उसमें सरकार यह दिखाना चाहती थी उसकी सोच क्या है, वो क्या करना चाहती है। तभी तो उसका फोकस बहुत साफ दिख रहा था।

- विकसित भारत @2047
- आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली
- डिजिटल और तकनीकी भारत
- महिला नेतृत्व और युवा शक्ति

जैसे मसलों को खासतौर पर परेड में प्रदर्शित किया गया।

राज्यों की झांकियों में अब केवल लोकनृत्य या ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, बल्कि स्टार्ट-अप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जल संरक्षण और महिला उद्यमिता जैसे विषय प्रमुख रहे। इससे संकेत बहुत साफ था कि भारत अपनी पहचान को अतीत से आगे ले जाकर भविष्य में स्थापित करना चाहता है।

सशस्त्र बलों की परेड में स्वदेशी हथियार प्रणालियों और रक्षा तकनीक ने यह संदेश दिया कि भारत अब केवल उपभोक्ता राष्ट्र नहीं, बल्कि रणनीतिक आत्मनिर्भर शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है।

सत्ता के उत्सव के बीच उठते सवाल

मैं ये भी बताता चलूं कि मेरे आसापास तो भव्यता और अनुशासन का दृश्य था, लेकिन उसी समय देश के कई हिस्सों में और कभी-कभी तो मेरे आसापास ही लोकतांत्रिक

राजपथ

असंतोष के स्वर भी सुनाई दे रहे थे। 2025 में सरकार की कई नीतियों और फैसलों पर सवाल उठे।

- न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंध
- चुनावी प्रणाली और पारदर्शिता
- बेरोजगारी और आर्थिक असमानता
- किसानों और श्रमिकों के अधिकार
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

जैसे सवालों पर तो खासा बवाल हुआ। राज्यपाल की शक्तियों पर सवाल उठा। दिल्ली की असली ताकत किसके पास यह सवाल भी शीर्ष अदालत पहुंचा। देश की चुनाव प्रणाली को लेकर तो जमकर बवाल हुआ। अभी भी चल ही रहा है। ईवीएम पर लेकर शक है। सरकार कहती है सब ठीक है। चुनाव आयोग भी वही बोलता है। पर मैं कहूं लोकतंत्र में अगर शक है तो गड़बड़ है। शक का निवराण तो होना ही चाहिए।

बेरोजगारी, किसानों की मांगें और अभिव्यक्ति के सवाल तो यहां रोज ही उठते रहे हैं। इस साल भी उठे।

राजपथ या मेरे आसपास कई बार विरोध प्रदर्शनों, धरनों और मार्चों की आहट सुनाई दी। हालांकि सुरक्षा कारणों से अधिकांश प्रदर्शन सीमित क्षेत्रों में आयोजित हुए, लेकिन उनका प्रतीकात्मक केंद्र मैं ही था।

न्यायपालिका पर बहस और राजपथ की राजनीतिक गूंज

साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों को लेकर देश भर में खूब बहस हुई। न्यायपालिका की भूमिका, उसकी स्वतंत्रता और उसकी सीमाओं पर राजनीतिक विमर्श ने तीखा रूप लिया।

मैंने सुना कि कई सवाल उठे

- क्या न्यायालय नीति निर्धारण में हस्तक्षेप कर रहा है?
- क्या सरकार न्यायपालिका की स्वायत्तता को सीमित करना चाहती है?
- क्या संवैधानिक संस्थाओं के बीच संतुलन बिगड़ रहा है?

इन सवालों की गूंज संसद से निकलकर मुझ तक आ पहुंची। टीवी कैमरे, मीडिया वैन और डिजिटल पत्रकारिता ने राजपथ को न्यायिक-राजनीतिक बहस का प्रतीक स्थल बना दिया। मैं कहूं तो यह कतई ठीक नहीं था। न्यायालय की अपनी गरिमा होती है और सरकार की भी अपनी मर्यादा। अच्छा थोड़ी लगता है कि उनके बीच की लड़ाई सड़क पर लड़ी जाए। लेकिन

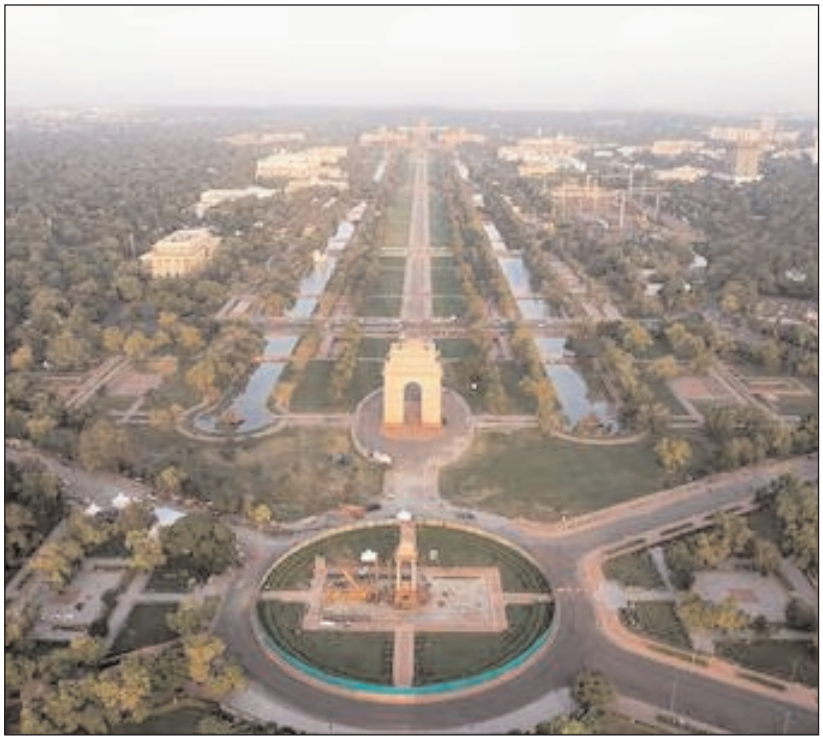

बीते साल की बात करूं तो वह सत्ता, संघर्ष, सवाल और संकल्प का जीवंत दस्तावेज रहा। वो साल राजनीतिक रूप से जितना उथल-पुथल भरा रहा, उतना ही वैचारिक और सामाजिक दृष्टि से भी निर्णायक साबित हुआ। मैंने 2025 में उत्सव की भव्यता भी देखी, आक्रोश की तीव्रता भी, लोकतांत्रिक सवालों की गूंज भी और नए भारत के आत्मविश्वास की झलक भी देखी।

हुआ तो यही।

संसद सत्र और राजपथ का मौन संवाद

2025 में संसद सत्रों के दौरान जब-जब सदन में शोर, बहिष्कार, तीखी बहस और नोंकझोंक हुई, तब-तब मेरे आसपास राजनीतिक हलचल बढ़ गई।

- विपक्षी सांसदों के बयान
- सत्तापक्ष के आक्रामक तेवर
- मीडिया की लाइव कवरेज

सब कुछ यहीं से चलने लगा। कई बार तो लगा कि इनके बीच मार-पीट न हो जाए। सुना है स्टूडियो में तो यह सब चलने ही लगा है। खैर, मुझे क्या, मैं तो खामोश सबकुछ देखता ही रहता हूं।

वैसे मै बता दूं कि, राजपथ और संसद भवन के बीच का यह संबंध केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद का प्रतीक है। संसद में उठे सवालों का जवाब अगर जनता तो राजपथ पर तलाशना पड़ रहा है तो कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है।

जनआंदोलन और नागरिक चेतना

2025 में मैंने यानी राजपथ ने यह भी देखा कि आम नागरिक अब केवल दर्शक नहीं रहा।

- छात्र संगठनों ने शिक्षा और रोजगार को लेकर आवाज़ उठाई
- महिला समूहों ने सुरक्षा और समानता की मांग की
- किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि सुधारों पर प्रश्न खड़े किए

हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के कारण कई आंदोलनों की हदबंदी कर दी गई, लेकिन राजपथ का प्रतीकात्मक महत्व बना रहा। यह संदेश स्पष्ट था कि, लोकतंत्र में सड़कें केवल

कभी-कभी मै डर भी जाता हूं। पिछले सालों में एक आंदोलन हुआ था — अन्ना का। उसकी आग मुझ तक भी पहुंची थी। बच्चे-बूढ़े, जवान औरते सब जुट गए थे। देश को अन्ना में गांधी बाबा दिखने लगे थे। लगा था देश बदल जाएगा। देश का कूड़ा-करकट एक झटके में साफ हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाया ? ये यक्ष प्रश्न है। देश अपनी राह पर फिर चल पड़ा। इस उम्मीद में कभी तो सुबह होगी।

कारों, मोटरसाइकिलों और बसों के लिए नहीं होती बल्कि संवाद और संघर्ष की पटकथा लिखने के लिए भी होती हैं।

सांस्कृतिक भारत की झलक

राजपथ 2025 में केवल राजनीति का ही मंच नहीं रहा।

- राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव
- योग और फिटनेस कार्यक्रम
- सैन्य बैंड और लोककला प्रस्तुतियाँ
- युवा और छात्र उत्सव

जैसे आयोजनों का भी मैं साक्षी रहा। इन आयोजनों ने यह दिखाया कि सरकार राजपथ को जन-सांस्कृतिक स्थान के रूप में स्थापित करना चाहती है। आम नागरिकों की बढ़ती मौजूदगी ने राजपथ को सत्ता से जनता की ओर पलटते हुए देखा।

डिजिटल युग का राजपथ

2025 में मेरा यानी राजपथ का हर दृश्य तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

- ड्रोन से ली गई तस्वीरें
- लाइव स्ट्रीम
- रील्स और डिजिटल रिपोर्टिंग

राजपथ अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। वह मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से देश के हर कोने में पहुँचा। यह डिजिटल लोकतंत्र का नया चेहरा था, जहाँ दृश्य, विमर्श और विवाद सब कुछ रियल टाइम में जनता तक पहुँचा।

चुनावी वर्ष की आहट

हालांकि 2025 में राष्ट्रीय चुनाव नहीं थे, लेकिन यह वर्ष राजनीतिक रणनीति और जनमत निर्माण का था।

- राजनीतिक दलों के शक्ति प्रदर्शन
- वैचारिक सम्मेलन
- जनसंपर्क अभियान

मैं यानी राजपथ इन सबका मौन साक्षी बना रहा। यह मार्ग आगाह करता रहा कि आने वाले वर्षों में सत्ता की दिशा क्या होगी और जनता की अपेक्षाएँ क्या हैं।

राजपथ-भारत की आत्मा का प्रतिबिंब

साल 2025 में दिल्ली के राजपथ ने यह साबित किया कि लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं होता। वह उत्सव, विरोध, बहस, संस्कृति और नागरिक चेतना सबका समुच्चय होता है। कई बार उसे सिर्फ देखना ही नहीं होता। उसे महसूस करना होता है, जीना होता है।

कभी-कभी मै डर भी जाता हूं। पिछले सालों में एक आंदोलन हुआ था – अन्ना का। उसकी आग मुझ तक भी पहुंची थी। बच्चे-बूढ़े, जवान औरते सब जुट गए थे। देश को अन्ना में गांधी बाबा दिखने लगे थे।

लगा था देश बदल जाएगा। देश का कूड़ा-करकट एक झटके में साफ हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाया ? ये यक्ष प्रश्न है। देश अपनी राह पर फिर चल पड़ा। इस उम्मीद में कभी तो सुबह होगी।

मैंने कुछ यह भी देखा

ऐसा भी नहीं कि साल भर में मैंने सिर्फ बुराइयां ही देखीं। मैने यहां

- सत्ता का आत्मविश्वास
- जनता के सवाल
- संस्थाओं के बीच संघर्ष
- भविष्य की आकांक्षाएँ

और सबसे बड़ी बात भविष्य को लेकर एक उम्मीद भी देखी। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि भारत का लोकतंत्र जीवित है, क्योंकि यहाँ सवाल पूछे जाते हैं, जवाब माँगे जाते हैं और बदलाव की उम्मीद को हमेशा जिंदा रखा जाता है।

–लेखक ग्रामीण उपभोक्ता के संपादकीय निदेशक हैं

डॉ. अनन्त शर्मा

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)

चाहिए धार भी और रफ्तार भी

देश में खाने की चीजों मिलावट को रोकने और उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कानूनों को मिलाकर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के साथ इससे जुड़े विभिन्न कानूनों को समेकित करते हुए एक मजबूत कानून बनाना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विकास के लिए कोशिश करना है। इसी सिलसिले में वर्ष 2008 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का गठन किया गया। ये प्राधिकरण खाद्य चीजों के आयात, उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण तथा विक्रय को विनियमित और मॉनीटर करता है ताकि जनता के लिए सुरक्षित और सेहतमंद खाद्य सुनिश्चित किया जा सके।

इस प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा ये अपने क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रयोगशालाओं के माध्यम से कार्य करता है और भारत में किसी भी स्थान पर अपना कार्यालय अथवा गतिविधियां संचालित कर सकता है। वर्तमान में इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, मुम्बई और चेन्नई में स्थित हैं। इसकी गतिविधियां मुख्य तौर पर तीन स्तरों पर तय होती है जिसमें खाद्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सलाहकार समिति और वैज्ञानिक पैनल शामिल है। खाद्य प्राधिकरण में अध्यक्ष के अलावा 22 सदस्य शामिल होते हैं जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों के सात प्रतिनिधि, खाद्य, उद्योग व उपभोक्ता संगठनों के दो-दो प्रतिनिधि, तीन प्रख्यात खाद्य प्रौद्योगिकीविद्, राज्यों और संघ क्षेत्रों के पांच प्रतिनिधि, कृषक संगठनों के दो प्रतिनिधि और खुदरा विक्रेताओं का एक प्रतिनिधि शामिल है।

ये प्रदेश स्तर पर विभिन्न खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के जरिए कार्य करता है जो कि उस प्रदेश या केन्द्र शासित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के प्रभारी अधिकारी होते हैं। ये संबंधित राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं। इसके अलावा ये अपनी कार्रवाइयों का संचालन केन्द्रीय प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से भी करता है जो अपने-अपने क्षेत्रों में प्राधिकरण के कार्य का संचालन और देखरेख करते हैं। वर्तमान में ऐसे सात अधिकारी हैं जिनमें पांच उपनिदेशक और दो संयुक्त निदेशक शामिल हैं। इसके

- एफएसएसए आई को प्रभावी बनाने की जरूरत
- मिलावट के मामलों को लेकर व्यवस्था में उदासीनता

अलावा विभिन्न बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर भी इसके अधिकारी तैनात हैं।

प्राधिकरण क्या काम करता है ?

कानून के अनुसार खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को जो मुख्य कार्य सौंपे गए हैं, वे निम्न हैं -

- खाद्य पदार्थों के संबंध में मानक और मार्गदर्शक सिद्धांत तय करना
- विभिन्न मानकों को लागू करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार करना
- खाने व उससे जुड़ी वस्तुओं में बाहरी वस्तुओं जैसे कैमिकल और कीटाणुनाशक पदार्थ या धातुओं की मात्रा निर्धारित करना
- खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणन से जुड़े निकायों के लिए तंत्र और दिशानिर्देश जारी करना
- भारत में आयात किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी
- प्रयोगशालाओं के लिए अधिसूचना, प्रक्रिया और दिशानिर्देश
- खाद्य पदार्थों के नमूने लेने, विश्लेषण करने और प्रवर्तन के लिए दिशानिर्देश
- खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के लिए प्रवर्तन, प्रशासन और सर्वेक्षण
- खाद्य पदार्थों के लेबल संबंधी मानक और नियम बनाना व लागू करना
- खाद्य जोखिम विश्लेषण और जोखिम रोकने का प्रबंध करना
- खाद्य सुरक्षा के संबंध में केन्द्र व राज्य सरकार को सलाह एवं तकनीकी समर्थन

दूध का दूध, पानी का पानी

- खाद्य से जुड़े विषयों पर वैज्ञानिक और तकनीकी आंकड़ों को खोजना, संग्रह करना और विश्लेषण करना
- खाद्य सुरक्षा से संबंधित कार्यकलापों का समन्वयन, सूचना प्रदान करना व बेहतर नेटवर्क स्थापित करना
- जनता, उपभोक्ता व अन्य स्तरों पर सूचनाएं एकत्रित करना
- खाद्य स्वच्छता के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास में सहयोग करना
- खाद्य सुरक्षा और मानकों के बारे में आम जागरूकता का संवर्धन करना
- प्राधिकरण के पास उपलब्ध जानकारी बिना अनुचित विलंब के सार्वजनिक करना

कितना कारगर हो पाया है प्राधिकरण?

इसमें कोई दोराय नहीं कि यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का जिन उद्देश्यों के लिए गठन किया गया था उन्हें हासिल करने में ये प्राधिकरण प्रभावी तरीके से कारगर साबित नहीं हो पाया है। देश में मिलावट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आम आदमी के लिए सुरक्षित खाद्य पदार्थ प्राप्त करना एक चुनौती भरा कार्य हो गया है। खुद प्राधिकरण की रिपोर्टें देश में हो रहे मिलावट के कारोबार का खुलासा करती है।

समीक्षात्मक नजरिए से देखा जाए तो कई ऐसे मोर्चे सामने आते हैं जहां प्राधिकरण कारगर नहीं हो पा रहा है। जैसे -

- खाद्य पदार्थ बेचने वालों का पंजीयन प्रभावी ढंग से अभी तक भी नहीं हो पा रहा है
- खाद्य पदार्थ निर्माताओं में कानून पालन के प्रति भय पैदा करने में प्राधिकरण सफल नहीं हो पा रहा है
- बड़ी संख्या में ऐसे खाद्य उत्पाद बाजार में बेचे जा रहे हैं जिन पर नियमानुसार प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना जरूरी है
- अधिकांश खाद्य पदार्थों के संबंध में अभी भी भारतीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय कसौटी के मानक तैयार नहीं किए जा सके है
- खाद्य पदार्थों में निर्धारित मात्रा से अधिक धातु, कीटनाशक एवं घातक कैमिकल्स

सख्त कानून और उसका भय वक्त की मांग

मिलावट के खिलाफ अभियान में उपभोक्ताओं को साथ लेना होगा

पाया जाना आम बात है

- खाद्य पदार्थों की जांच के लिए पर्याप्त प्रयोगशालाओं की स्थापना और पहचान नहीं हो सकी है
- विभिन्न राज्य सरकारों के साथ प्राधिकरण के कार्यकलाप में तासमेल में कमी है। कई स्थानों पर निचले स्तर पर प्रभावी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है
- देश में अभी भी विभिन्न माध्यमों से घटिया स्तर का खाद्य पदार्थ पहुंच रहा है। विभिन्न प्रमाणन निकायों में आपसी समन्वय की कमी है
- पर्याप्त संख्या में खाद्य पदार्थों के नमूने नहीं उठ पा रहे हैं
- खाद्य पदार्थों पर लगाए जाने वाले लेबलों को लेकर कई तरह की विसंगतियां सामने आ रही हैं
- जोखिम वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है
- केन्द्र व राज्य सरकारों को खाद्य पदार्थों के संबंध में प्रभावी सलाह और तकनीकी समर्थन देने में भी प्राधिकरण की भूमिका कमजोर साबित हो रही है
- खाद्य प्राधिकरण आम जनता को खाद्य सुरक्षा और मानकों के प्रति जागरूक करने में विफल साबित हो रहा हैं
- सब्जियों और खाद्य पदार्थों को पकाने में घातक कैमिकल्स के इस्तेमाल को रोक पाने में प्राधिकरण की भूमिका प्रभावी साबित नहीं हो सकी है
- विभिन्न मांसाहारी उत्पादों, खासकर खुले में बिकने वाले मीट, चिकन आदि की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में भी प्राधिकरण सफल नहीं हो पाया है

अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस मर्ज की वजह क्या है ? क्यों नहीं प्राधिकररण कारगर तरीके से काम कर पा रहा है ? वजहें साफ हैं -

- उचित मानकों का निर्धारण न हो पाना
- प्रभावी खाद्य सुरक्षा नीति तैयार करने में विफलता

दूध का दूध, पानी का पानी

- सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर मजबूत इच्छाशक्ति का अभाव
- ऐसी विषेषज्ञता की कमी जो मिलावट के मामलों से निपटने में दक्ष हों
- आमजन व उपभोक्ताओं के साथ प्राधिकरण के समन्वय का अभाव
- मिलावट के खिलाफ काम करने के लिए कोई मशीनरी है ये बात लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है यानी इसके प्रचार-प्रसार में कमी है
- राज्य सरकारों से जो सहयोग मिलना चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी है
- प्रभावी सूचना नेटवर्क खड़ा कर पाने में विफलता यानी मिलावट के मामलों की जानकारी ही नहीं मिल पाती या ऐसे मामलों की सूचना लेने व देने में उदासीनता है
- प्रशासनिक लापरवाही एवं भ्रष्टाचार के मामलों के चलते मिलावट के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाया जा पा रहा है
- फील्ड स्टाफ की कमी
- अनावश्यक कानूनी पेचीदगियां
- देश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के संबंध में उचित माहौल का अभाव

क्या किया जाना चाहिए?

देश में मिलावट रोकने और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जरूरत है। चूंकि खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इसके लिए मुख्य एजेंसी है, ऐसे में ये जरूरी है कि इसे अधिक प्रभावी बनाया जाए। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को धारदार और प्रभावी बनाने के लिए तुरंत कुछ कदम उठाने की जरूरत है -

- खाद्य पदार्थों की निर्माण प्रक्रिया पर प्रभावी निगरानी हो
- लाइसेंसीकरण को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाए
- स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए प्रभावी मानक तय हों
- एक स्पष्ट खाद्य सुरक्षा नीति बनाई जाए
- खाद्य सुरक्षा में स्वैच्छिक संगठनों व आम जनता की भागीदारी को बढ़ाया जाए
- खाद्य सुरक्षा से जुड़े अपराधों में सजा कड़ी की जाए
- आपराधिक मामलों में सामान्य जुर्माना कर लीपापोती न की जाए
- खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टाफ में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं
- खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं
- स्थानीय स्तर पर स्टाफ की कमी को समाप्त किया जाए
- प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए और निजी स्तर पर प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहित किया जाए
- अनुचित रूप से एवं गलत तरीके बाहर से आयात होने वाले खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध हो
- खाद्य पदार्थों पर लेबल के संबंध में विसंगतियां समाप्त हों
- खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के संबंध में भ्रामक विज्ञापन पर व्यापक प्रतिबंध हो

10 खास बातें

- भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बना है
- अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण मुख्य एजेंसी है
- इसमें केन्द्रीय सलाहकार समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है
- विषेषज्ञता के लिए वैज्ञानिक पैनल की व्यवस्था है
- प्राधिकरण ही खाद्य पदार्थों के मानक तय करता है
- खाद्य व्यवसायियों के पंजीयन का दायित्व भी प्राधिकरण का ही है
- मिलावट पर नियंत्रण में प्राधिकरण सफल नहीं हो पा रहा है
- बड़ी कंपनियां निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं
- उपभोक्ताओं की भागीदारी बेहद सीमित है
- लापरवाही के लिए राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं

-लेखक कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं

लालचंद्र सिंह

बीआईएस चुस्त तो माल दुरुस्त

नियम तो बने लेकिन ठोस निगरानी नहीं, सक्षम होते हुए भी अक्षम क्यों?

बीआईएस भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जिसकी स्थापना बीआईएस अधिनियम 2016 के अंतर्गत की गई। बीआईएस की स्थापना वस्तुओं के मानकीकरण, मुहरांकन और गुणवत्ता प्रमाणन गतिविधियों की दृष्टि से की गई। बीआईएस मानकीकरण, प्रमाणन और परीक्षण द्वारा कई तरह से लाभ पहुंचा रहा है। यह सुरक्षित विश्वसनीय गुणता वाले उत्पाद प्रदान करता है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य जोखिम को कम करता है। निर्यात एवं आयात विकल्पों को प्रोत्साहित करने जैसे तमाम काम करता है।

राजस्थान के नागौर जिले में जनवरी 2025 में तब अफरा तफरी मच गई जब 17 कैरेट के सोने पर 22 कैरेट की सील लगाकर लंबे समय से ग्राहकों को ठग रहे दो ज्वेलर्स की दुकानों पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का छापा पड़ा। सोने के आभूषणों के मानक को बदलते हुए ग्राहकों को ठगने वाले दुकानदारों की कहानी सामने आने के बाद राजस्थान में सोने की खरीदारी पर प्रश्न चिन्ह लग गया? इससे यह अंदाजा हुआ कि सोने के निवेश को एक बढ़िया विकल्प माने जाने वाले भारत में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि कई ज्वेलर्स नकली हॉलमार्क लगाकर सोने की क्वालिटी में छेड़छाड़ कर ग्राहकों को चूना लगा जाते हैं। दोनों प्रतिष्ठानों पर भारतीय मानक ब्यूरो और नागौर कोतवाली पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। बीआईएस ने ज्वेलर्स के दुकान पर छापेमारी कर नकली हॉलमार्किंग से तैयार आभूषण भी जब्त किए।

इसी तरह, एक दूसरा मामला जनवरी 2025 में जयपुर में सामने आया जब भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), राजस्थान की टीम ने ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म-ब्लिंकिट के जयपुर में 22 गोदाम स्थित वेयरहाउस पर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के उल्लंघन के लिए तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में वे उत्पाद जब्त किए गए। इन्हें बिना मानक मुहर (आईएसआई मार्क एवं रजिस्ट्रेशन मार्क) विक्रय के लिए संग्रहित किया गया था। कार्रवाई के दौरान 197 से अधिक श्रेणियों के कुल 265 उत्पाद जब्त किए गए जिनमें से अधिकतम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले उपभोक्ता उत्पाद हैं।

उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टीफैक्टस ऑर्डर 2020 की हॉल मार्किंग के अनुसार गोल्ड ज्वेलरी और आर्टीफैक्ट्स पर 16 जून 2021 जनवरी से बीआईएस हॉलमार्क लागू किया गया है। बीआईएस ने बीआईएस लोगो (मोहर और शुद्धता) के प्रमाण के लिए छह अंकों की हॉलमार्क यूनिक आईडी को लेकर मार्किंग प्रणाली शुरू कर रखी है। हॉलमार्क वाले आभूषण सिर्फ बीआईएस के साथ पंजीकृत ज्वेलर्स द्वारा ही बेचे जा सकते हैं। हॉलमार्क सहित बीआईएस का दुरुपयोग करने पर धारा 29-2 बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत एक लाख रुपए जुर्माना व जब्ती की कार्रवाई का प्रावधान है।

बीआईएस क्या है ?

बीआईएस भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जिसकी स्थापना बीआईएस अधिनियम 2016 के अंतर्गत की गई। बीआईएस की स्थापना वस्तुओं के मानकीकरण, मुहरांकन और गुणवत्ता प्रमाणन गतिविधियों की दृष्टि से की गई। बीआईएस मानकीकरण, प्रमाणन और परीक्षण द्वारा कई तरह से लाभ पहुंचा रहा है। यह सुरक्षित विश्वसनीय गुणता वाले उत्पाद प्रदान करता है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य जोखिम को कम करता है। निर्यात एवं आयात विकल्पों को प्रोत्साहित करने जैसे तमाम काम करता है।

उपभोक्ताओं एवं उद्योग हित के लिए बीआईएस के कार्य

मानक निर्धारण

- उत्पाद प्रमाणन योजना
- अनिवार्य पंजीकरण योजना

शिकायत

- विदेशी निर्माता प्रमाणन योजना
- हॉलमार्किंग योजना
- प्रयोगशाला सेवाएं
- प्रयोगशाला मान्यता योजना
- भारतीय मानकों की बिक्री
- उपभोक्ता मामले गतिविधियां
- प्रोत्साहन गतिविधियां
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सेवाएं
- सूचना सेवाएं

बीआईएस का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता (पूर्व), चेन्नई (दक्षिण), मुंबई(पश्चिम), चंडीगढ़ (उत्तर) और दिल्ली (मध्य) में स्थित है। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन शाखा कार्यालय हैं। ये कार्यालय हैं अहमदाबाद, बेंगलुरू, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बत्तूर, देहरादून, जम्मू, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, दुर्गापुर,राजकोट और विशाखापत्तनम। ये शाखा कार्यालय संबंधित क्षेत्र की राज्य सरकारों, उद्योगों, तकनीकी संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों इत्यादि के बीच प्रभावी संपर्क का काम करते हैं।

बीआईएस की स्थापना के उद्देश्य

विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए गुणवत्ता मानकों को विकसित करने और उसको बनाए रखने के लिए भारत में स्थापित एक वैधानिक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो भारतीय बाजार में उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में मानकीकरण की अवधारणा का पता ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से लगाया जा रहा है जब विभिन्न प्रकार के उत्पादों और प्रक्रियाओं के मानकीकरण की आवश्यकता को पहचाना गया था। भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) की स्थापना 1932 में उत्पादों के लिए मानक तैयार करने और उन्हें अपनाने के लिए की गई थी। स्वतंत्रता के बाद 1947 में आईएसआई ने अपना काम शुरू कर दिया। 1947 में संगठन के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक संस्थान अधिनियम को पारित किया गया। सरकार ने आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए मानकीकरण के महत्व को पहचाना।

1986 में भारतीय संसद के एक अधिनियम में भारतीय मानक संस्थान को भारतीय मानक ब्यूरो में बदल दिया गया था। इस परिवर्तन का उद्देश्य केवल मानकों को स्थापित करने और उसको बनाए रखने में संगठन की भूमिका को मजबूत करना है साथ ही उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने के लिए इसका विस्तार करना है।

पिछले कुछ वर्षों में बीआईएस ने उत्पादों और प्रणालियों के प्रमाणीकरण, उत्पाद परीक्षण और अनुरूपता मूल्यांकन सेवाओं को शामिल करने के लिए उत्पाद मानकों से अलग अपनी जिम्मेदारियों का विस्तार किया है। यह उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर औद्योगिक मशीनरी तक विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बीआईएस ने भारतीय मानकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ रेखांकित करने, व्यापार को और भी अधिक सुविधाजनक बनाने और भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने की दिशा में भी काम किया है। इसने कई अंतरराष्ट्रीय मानक संगठनों के साथ साझेदारी और पारस्परिक मान्यता समझौते स्थापित किये हैं।

दायरे में उद्योगों की बड़ी श्रृंखला

बीआईएस उद्योगों की एक बड़ी श्रृंखला को कवर करता है। जिसमें विनिर्माण, कृषि, खाद्य, इलेक्ट्रानिक्स, रसायन, कपड़ा और बहुत कुछ शामिल हैं। इसके मानक और प्रमाणपत्र उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ावा देकर

व्यवसायों और उपभोक्ताओं को समान रूप से मदद करते हैं।

स्वैच्छिक एवं अनिवार्य मानकीकरण

बीआईएस अनिवार्य और स्वैच्छिक दोनों प्रकार के मानक निर्धारित करता है। अनिवार्य मानक जिन्हें अक्सर आईएसआई चिन्ह कहा जाता है। कुछ उत्पादों जैसे विघुत उपकरणों और ऑटोमोटिव घटकों के लिए कानूनी रूप से आवश्यक हैं। स्वैच्छिक मानक ऐसे दिशानिर्देश हैं जिन्हें संगठन अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपनाना चुन सकते हैं। यह भारतीय बाजार में उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश की अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रमाणन य़ोजनाओं का संचालन

बीआईएस भारतीय मानकों के साथ उनके उत्पादों और प्रणालियों की अनुरूपता का आकलन करने और प्रमाणित करने के लिए प्रमाणन योजनाएं संचालित करता है। बीआईएस प्रमाणन चिन्ह उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रतीक होता है। बीआईएस उत्पादों का मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाओं और परीक्षण सुविधाओं का रखरखाव करता है कि वे निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं। ये परीक्षण विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रदर्शन को सत्यापित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। बीआईएस व्यवसायों को अनुरूपता मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करता है, जिससे उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि उनके उत्पाद और प्रक्रियाएं स्थापित मानकों को पूरा करती हैं। इसमें उत्पाद प्रमाणन, फ़ैक्टरी निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल हो सकते हैं। बीआईएस मानकों और प्रमाणन योजनाओं को आईएसआई चिन्हित उत्पादों को खरीदते समय उपभोक्ताओं को गुणवत्ता आश्वासन और सुरक्षा प्रदान करके उनके हितों की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। बीआईएस भारतीय उद्योगों और व्यवसायों के बीच गुणवत्ता और सर्वोत्तम प्रथाओं की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करता है। जो देश की समग्र आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान देता है।

अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठनों का सहयोग

बीआईएस अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठनों के साथ सहयोग करता है और वैश्विक मानकों के साथ

भारतीय मानकों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए काम करता है। यह व्यापार को सुविधाजनक बनाता है, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करता है।

सलाहकारी एवं शैक्षिक सुविधाएं

बीआईएस व्यवसायों और व्यक्तियों को सलाहकार और शैक्षिक सेवाएँ प्रदान करता है। जिससे उन्हें मानकों को प्रभावी ढंग से समझने और लागू करने में मदद मिलती है। इसमें प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ और परामर्श शामिल हैं।

अनिवार्य़ बीआईएस प्रमाणीकरण

सभी उत्पाद अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण के अधीन नहीं है। भारत सरकार समय-समय पर उन उत्पादों की सूची को अपडेट करती है जिनके लिए बीआईएस प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। उत्पादों के सामान्य उदाहरण जिन्हें अक्सर अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है उनमें विद्युत उपकरण, ऑटोमोटिव घटक, कुछ खाद्य उत्पाद और विशिष्ट औद्योगिक मशीनरी शामिल हैं।

वैकल्पिक व्यवस्था

अन्य उत्पादों के लिए जो अनिवार्य प्रमाणीकरण के अधीन नहीं हैं। बीआईएस स्वैच्छिक प्रमाणीकरण विकल्प को प्रदान करता है। निर्माता और व्यवसाय अपने उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रदर्शित करने के लिए स्वेच्छा से बीआईएस प्रमाणीकरण प्राप्त कर सकते हैं भले ही यह कानूनी रूप से आवश्यक न हो। निर्माताओं, आयातकों और व्यवसायों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे बीआईएस और संबंधित सरकारी अधिकारियों से नवीनतम नियमों और मानकों की जांच करें ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उनके विशिष्ट उत्पादों के लिए बीआईएसप्रमाणीकरण अनिवार्य है या नहीं।

अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन आवश्यकताओं का अनुपालन न करने पर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। जिसमें मानकों को पूरा नहीं करने वाले उत्पादों की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध भी शामिल है।

ब्यूरो कॉरपोरेट निकाय है जिसमें 25 केन्द्र और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 25 सदस्य हैं जिसमें संसद सदस्य, उद्योग, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन तथा व्यावसायिक निकायों के प्रतिनिधि, केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री इसके अध्यक्ष और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री उपाध्यक्ष हैं।

-लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

मनोज दीक्षित

खेतों का सिकुड़ता दायरा, छोटे जोतों से मुश्किल और बढ़ी

भारत की सभ्यता और अर्थव्यवस्था का आधार सदियों से कृषि रही है। आज भी देश की लगभग 55 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में खेती योग्य भूमि लगातार घट रही है। औसतन किसानों की जमीन का आकार 1970 के दशक से आधा हो चुका है, और शहरीकरण व जनसंख्या दबाव के कारण हर साल लाखों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि निर्माण और औद्योगिक उपयोग में बदल रही है। यह कमी केवल भूमि की मात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि भूमि का विखंडन, शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी इसे और गंभीर बना रहे हैं। खेती योग्य भूमि का सिकुड़ना केवल किसानों की समस्या नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय संतुलन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है।

दुनिया की तस्वीर
कृषि भूमि का क्षरण

- **तथ्य:** FAO की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की लगभग एक-तिहाई भूमि पहले से ही गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है।
- **विस्तार:** हर साल करीब 24 अरब टन उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो रही है। यह मिट्टी का नुकसान केवल उत्पादन क्षमता को घटाता ही नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी तेज करता है क्योंकि मिट्टी में मौजूद जैविक कार्बन वातावरण में निकल जाता है।
- **केस स्टडी:** अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में लगातार भूमि क्षरण के कारण लाखों हेक्टेयर भूमि खेती योग्य नहीं रही।

शहरीकरण का दबाव

- **तथ्य:** 2030 तक शहरी विस्तार के कारण वैश्विक स्तर पर 1.8–2.4 प्रतिशत कृषि भूमि खत्म हो जाएगी।
- **विस्तार:** इसका लगभग 80 प्रतिशत नुकसान एशिया और अफ्रीका में होगा। इसका मतलब है कि वही क्षेत्र, जहाँ खाद्य सुरक्षा पहले से चुनौती है, सबसे अधिक प्रभावित होंगे।

> ▶ शहरीकरण ने हालात को बदतर बनाया
> ▶ आने वाले समय में पड़ जाएंगे खाने के लाले

- **उदाहरण:** चीन में शहरी विस्तार के कारण 2000 से 2020 के बीच लगभग 6 प्रतिशत कृषि भूमि कम हुई।

किसानों की संख्या और प्रोफ़ाइल में बदलाव

- **तथ्य :** औसतन किसान की उम्र अब 55 वर्ष तक पहुंच चुकी है।
- **विस्तार:** नई पीढ़ी का कृषि से विमुख होना तकनीकी निवेश, क्रेडिट और नवाचार को धीमा कर रहा है।
- **प्रभाव:** इससे कृषि में नवाचार और टिकाऊ प्रथाओं का अपनाना कठिन हो जाता है।

खाद्य प्रणाली पर असर

- **तथ्य:** कृषि भूमि घटने से फसल विविधता कम होती है।
- **विस्तार:** सप्लाई-चेन जोखिम बढ़ता है और देशों की आयात-निर्भरता बढ़ सकती है।
- **उदाहरण:** मध्य पूर्व के कई देशों में भूमि की कमी के कारण गेहूँ और चावल का आयात 70 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

भारत की स्थिति
भूमि विखंडन और औसत होल्डिंग्स

- **तथ्य:** NABARD सर्वे के अनुसार, भारत में किसानों की औसत जमीन का आकार 2016-17 में 1.08 हेक्टेयर था, जो 2021-22 में घट कर 0.74 हेक्टेयर रह गया है।
- **विस्तार:** भूमि का विखंडन उत्तराधिकार कानून और जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रहा है। छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी भूमि पर आधुनिक तकनीक और मशीनरी का

उपयोग कठिन हो जाता है।

- **प्रभाव:** इससे उत्पादकता घटती है और किसानों की आय कम होती है। शहरीकरण और औद्योगिक दबाव
- **तथ्य:** हर साल लगभग 1.6–3.3 मिलियन हेक्टेयर उपजाऊ भूमि शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार में बदल रही है।
- **विस्तार:** दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में कृषि भूमि तेजी से रियल एस्टेट और औद्योगिक पार्कों में बदल रही है।
- **केस स्टडी:** नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पिछले 20 वर्षों में हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि औद्योगिक और आवासीय परियोजनाओं में बदल गई।

भूमि क्षरण और परित्याग

- **तथ्य:** भारत में लगभग 30 प्रतिशत भूमि क्षरण की चपेट में है।
- **विस्तार:** रसायनों का अत्यधिक उपयोग, भूजल का दोहन और मोनोकल्चर खेती मिट्टी की उर्वरता घटा रहे हैं।
- **प्रभाव:** इससे भूमि परित्याग की स्थिति बन रही है और किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं।

सामाजिक-आर्थिक असर

- **तथ्य:** किसानों की औसत मासिक आय 2016-17 में 8,059 रुपए थी, जो 2021-22 में बढ़कर 12,698 रुपए हुई, लेकिन खर्च भी उसी अवधि में 6,646 से बढ़कर 11,262 रुपए हो गया।
- **विस्तार:** इसका मतलब है कि कृषि आय और खर्च का अंतर बहुत कम है।
- **प्रभाव:** खेती टिकाऊ नहीं रह पा रही और युवा खेती छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा पर खतरा

- **तथ्य:** दाल, खाने के तेल और अनाज की कुछ प्रजातियों में भारत की आयात-निर्भरता बढ़ रही है।
- **विस्तार:** भूमि घटने से फसल विविधता कम हो रही है और खाद्य मूल्य अस्थिरता बढ़ रही है।
- **प्रभाव:** यदि यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले दशकों में भारत को खाद्य आयात पर और अधिक निर्भर होना पड़ेगा।

भारत और विश्व स्तर पर खेती की जमीन घट रही है, खेत एकीकृत होकर बड़े हो रहे हैं, किसान समुदाय वृद्ध हो रहा है और युवाओं की कृषि में रुचि कम है। यह प्रवृत्ति खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार, जैव विविधता और सामाजिक स्थिरता पर सीधा प्रभाव डालती है। यह सुझाव-पत्र भारत सरकार और वैश्विक संस्थाओं के लिए समयबद्ध, बहु-स्तरीय नीतिगत कदम प्रस्तावित करता है ताकि उत्पादनक्षमता बढ़े, छोटे किसानों की जीविका सुरक्षित रहे, और कृषि परिदृश्य जलवायु-संगत व तकनीक-सक्षम बने।

अंतरराष्ट्रीय उदाहरण

चीन

- **रेड लाइन पॉलिसी:** न्यूनतम 120 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि सुरक्षित रखने का कानूनी प्रावधान।
- **विस्तार:** इससे शहरी विस्तार के बावजूद कृषि भूमि का संरक्षण हुआ।

यूरोप

- **ग्रीन बेल्ट:** कृषि भूमि को संरक्षित करने के लिए ज़ोनिंग कानून।
- **विस्तार:** इससे शहरी फैलाव नियंत्रित हुआ और कृषि भूमि बची रही।

अमेरिका

- **कंजरवेशनरिज़र्व प्रोग्राम:** किसानों को भूमि संरक्षण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन।
- **विस्तार:** इससे भूमि क्षरण कम हुआ और जैव विविधता संरक्षित हुई।

अफ्रीका

- **ग्रेट ग्रीन वॉल:** भूमि पुनर्स्थापन परियोजना।
- **विस्तार:** इससे रेगिस्तानीकरण रोकने और कृषि भूमि पुनर्स्थापित करने में मदद मिली।

भारत की मौजूदा नीतियाँ

भूमि-उपयोग और शहरी नियोजन

- राज्य भूमि-राजस्व कानून और मास्टर प्लान मौजूद हैं, परंतु ज़ोनिंग प्रवर्तन कमजोर है।
- पीएम-गति शक्ति/एनआईपी से अवैध अतिक्रमण घटाने की संभावना है, लेकिन कृषि भूमि सुरक्षा के स्पष्ट गाइडलाइन नहीं हैं।

कृषि टिकाऊपन और उत्पादन

- पीएम-किसान और फसल बीमा से आय-सहायता और जोखिम-प्रबंधन संभव है।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड और जैव-इनपुट प्रोत्साहन से मिट्टी की उर्वरता सुधार पर असर पड़ा है।
- जैविक/प्राकृतिक खेती योजनाएं मौजूद हैं, पर स्केल-अप और बाज़ार लिंक की चुनौतियां हैं।

भूमि शासन और संरक्षण

- डिजिटल भूमि रिकॉर्ड से विवाद कम हो सकते हैं, पर कई राज्यों में अद्यतन अपूर्ण है।
- वन/वेटलैंड संरक्षण कानूनी रूप से मौजूद है, पर प्रवर्तन कमजोर है।

भारत में कृषि भूमि का सिकुड़ना केवल किसानों की समस्या नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय संतुलन और ग्रामीण

अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। समाधान "भूमि-उपयोग बुद्धिमत्ता + टिकाऊ कृषि + बेहतर शासन' के त्रिकोण में है—यानी शहरों को स्मार्ट और कॉम्पैक्ट बनाना, खेतों को टिकाऊ और लाभकारी रखना, और भूमि-नीतियों को पारदर्शी व सख्ती से लागू करना शामिल है।

- भूमि विखंडन रोकने के लिए स्पष्ट भूमि-टाइटल और लीज़ सुधार जरूरी हैं।
- शहरी नियोजन में कृषि बेल्टों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- टिकाऊ खेती, जल-कुशलता और वैकल्पिक आय स्रोतों को बढ़ावा देना होगा।

भारत को क्या करना होगा ? भूमि, योजना और संरक्षण

राष्ट्रीय भूमि-उपयोग फ्रेमवर्क:कृषि-योग्य भूमि पर अनियंत्रित परिवर्तन रोकने के लिए ज़ोनिंग, अर्गेनेटेड भू-मानचित्र और राज्य-स्तरीय भूमि आयोगों का समन्वय।

- **किसान-हितैषी समेकन व लीज़ मॉडल:** स्वैच्छिक समूह खेती, प्रोड्यूसर कंपनियों और दीर्घकालीन लीज़ को कानूनी सुरक्षा देकर स्केल-इकोनॉमी बनाना।
- **मृदा और जल संरक्षण मिशन:** मृदा-स्वास्थ्य कार्ड 2.0, सूक्ष्म सिंचाई सार्वभौम कवर, वर्षाजल-संग्रह और भू-जल पुनर्भरण को जिलों के वार्षिक लक्ष्यों से बांधना।

उत्पादन क्षमता और जलवायु-संरक्षण

- **जलवायु-स्मार्ट पैकेज:** फसल विविधीकरण, सूखा/बाढ़-सहनशील किस्में, फसल-चक्र पुनर्संतुलन, जोखिम नक्शे के आधार पर ब्लॉक-स्तरीय योजनाएँ।
- **समेकित जोखिम सुरक्षा:** फसल बीमा का सूचकांक-आधारित विस्तार, प्रीमियम पर लक्षित सब्सिडी, दावे के डिजिटल सत्यापन और समयबद्ध भुगतान।
- **इनपुट दक्षता सुधार:** प्रिसीजन खेती, ड्रोन-आधारित पोषण/सुरक्षा छिड़काव, सेंसर-आधारित सिंचाई; कृषि यंत्रों के साझा सेवा केंद्र।

बाजार, मूल्य और आय स्थिरता

- **मूल्य स्थिरीकरण कोष:** टेंपररी आपूर्ति झटकों के लिए खरीद/बफर, पारदर्शी नियम और समय-सीमा।
- **लॉजिस्टिक्स और प्रसंस्करण:** कोल्ड-चेन क्लस्टर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 50–70% पूंजी सहायता; ग्रामीण गोदामों का सार्वजनिक-निजी साझेदारी।
- **डिजिटल मंडी एकीकरण:** e-NAM 2.0 के साथ गुणवत्ता ग्रेडिंग, आश्वस्त भुगतान, और किसान-ग्राहक कॉन्ट्रैक्ट्स की कानूनी सुरक्षा।

मानव संसाधन और युवाओं का प्रवेश

- **एग्री-स्टार्टअप फेलोशिप:** 18–35 आयु के लिए तीन वर्ष तक स्टाइपेंड, उपकरण व मेंटरशिप; कृषि-टेक, जैव-इनपुट और सेवाएँ केंद्रित।
- **कौशल और विस्तार सेवाएँ:** जिला स्तर पर "एग्री-स्किल हब', मोबाइल सलाह, सामुदायिक डेमो फॉर्म्स; महिलाओं और युवाओं की लक्षित भागीदारी।
- सामाजिक सुरक्षा:वृद्ध किसानों के लिए आय-समर्थित पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और सलाह सेवाएँ, कृषि श्रमिकों के लिए पोर्टेबल लाभ।

वित्त और संस्थागत सुधार

- **रियायती हरित ऋण:** प्रिसीजन उपकरण, ड्रिप/स्प्रिंकलर, नवीकरणीय ऊर्जा पंपों के लिए कम-ब्याज ऋण; क्रेडिट गारंटी।
- **डेटा और शासन:** कृषि-डेटा स्टैक, भू-स्थानिक फसल मानचित्र, मौसम-जोखिम डैशबोर्ड, निजी डेटा उपयोग पर कड़े सुरक्षा मानक।
- **समावेशी संस्थाएँ:** एफपीओ/किसान सहकारी की क्षमता-विकास, प्रोफेशनल मैनेजर्स की नियुक्ति और चेकलिस्ट-आधारित प्रदर्शन समीक्षा।

–लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

सदी के अंत तक आधे रह जाएंगे खेत

खेती की जमीन लगातार घट रही है और किसानों की संख्या तेजी से कम हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यही रफ्तार जारी रही तो सदी के अंत तक दुनिया में खेतों की संख्या आधी रह जाएगी। इसका सीधा असर खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि 1991 में वैश्विक रोजगार का 43 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र से जुड़ा था। 2023 तक यह घटकर केवल 26 प्रतिशत रह गया। भारत में भी स्थिति चिंताजनक है। जनगणना 2011 के अनुसार, औसतन रोजाना लगभग 2,000 किसान खेती छोड़ रहे हैं। अमेरिका की कोलोराडो यूनिवर्सिटी के "बेटर प्लेनेट लेबोरेटरी" के शोध के मुताबिक 2020 में दुनिया में लगभग 616 मिलियन खेत थे। सदी के अंत तक यह संख्या घटकर केवल 272 मिलियन रह जाएगी। खेतों का औसत आकार दोगुना हो जाएगा, लेकिन किसानों की संख्या आधी रह जाएगी। अध्ययन यह भी बताता है कि दुनिया के सबसे छोटे खेत कुल कृषि भूमि का केवल 25 प्रतिशत घेरते हैं, लेकिन वे दुनिया का एक-तिहाई भोजन पैदा करते हैं। यदि छोटे खेत खत्म हो गए तो खाद्य आपूर्ति और जैव विविधता दोनों पर गंभीर असर पड़ेगा।

कड़ाके की ठंड में रबी फसल को ऐसे बचाएं

जनवरी के महीने में सर्दी बढ़ने से 'पाले' का खतरा बढ़ जाता है, जो फसलों को बर्बाद कर सकता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, जब हवा धीमी हो जाए और आसमान साफ लगे तो पाला पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। शाम के समय खेत की मेढ़ पर घास-फूस जलाकर धुआं करने से इससे बचा जा सकता है । इसके अलावा, खेत में हल्की सिंचाई करने से मिट्टी का तापमान बना रहता है। रासायनिक उपचार के तौर पर गंधक के तेजाब का छिड़काव भी बेहद असरदार साबित होता है।

मशरूम की खेती से कमाएं लाखों का मुनाफा

जनवरी के समय में मशरूम की खेती एक वरदान साबित हो सकती है। किसान अपनी मुख्य फसल के साथ-साथ कमाई का अलग जरिया बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है। इसे किसी भी बंद कमरे या छप्पर के नीचे उगाया जा सकता है। शहर में मटन मशरूम और ओयस्टर मशरूम की मांग सर्दियों में काफी बढ़ जाती है। केवल 15-20 दिनों के ट्रेनिंग और साधारण निवेश के साथ किसान इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सरकार इसके लिए कई जिलों में मुफ्त प्रशिक्षण और लोन की सुविधा भी दे रही है।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मिलेंगे नए तोहफे

2026 में आने वाले केंद्रीय बजट पर देशभर के किसानों की उम्मीद जुड़ी है । इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 'पीएम किसान सम्मान निधि' की राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। साथ ही, खाद और बीज पर मिलने वाली सब्सिडी को और आसान बनाया जा सकता है। सरकार का ध्यान 'एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड' के ऊपर रहने वाला है , जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोल्ड स्टोरेज और गोदाम बनाए जा सकेंगे । छोटे किसानों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण की नई योजनाओं का ऐलान भी संभव है। अबकी बजट किसानो के लिए अच्छा साबित होने वाला है।

किसान न्यूज

किसान पाठशालाओं का आयोजन

किसान खेती से अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर अपनी आमदनी बढ़ा सकें इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार रबी सीजन 2025-26 में ग्राम पंचायत स्तर पर किसान पाठशालाओं का आयोजन करने जा रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से अपील की है कि वे रबी सत्र 2025-26 के लिए आयोजित की जाने वाली किसान पाठशालाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें तथा कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचार को अपनाकर मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए कम लागत में अधिक लाभ कमायें।

पॉवर वीडर से कमाल की खेती

खेती किसानी को आसान बनाने के लिए बाजार में आए नए-नए उपकरणों से किसानों का जीवन बदल रहा है. इन्हीं आधुनिक तकनीकों में से एक मशीन इन दिनों बाजार में खूब सुर्खियां बटोर रही है। यह मशीन न केवल खेत की जुताई करती है, बल्कि मिट्टी चढ़ाने, जमीन को समतल करने और सब्ज़ी के खेतों में हल्के काम से लेकर धान, गेहूं और मक्का की खेती तक में उपयोगी साबित हो रही है। हम बात कर रहे हैं पावर वीडर मशीन की जिसे लोग मिनी ट्रैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि किसान रात में भी आराम से खेत की जुताई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तेज रोशनी वाली लाइट लगी है। मशीन की कीमत करीब 45,000 रुपये है। सरकार किसानों को इस पर 30,000 रुपये तक का अनुदान यानी सब्सिडी दे रही है।

बिहार कृषि विभाग ने किसानों को जागरूक किया

बिहार कृषि विभाग की ओर से इस महीने किन फसलों में क्या करना है, उसकी जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं कि किसान दिसंबर के महीने में अपने खेतों में क्या करें- रबी फसलों की सिंचाईः दिसंबर माह में रबी फसलों (गेहूं, चना, सरसों, मटर) की देखभाल, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण मुख्य कार्य हैं। सब्जी और बागवानी कार्यः दिसंबर के महीने में किसान टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, मेथी, मूली, गाजर, चुकंदर, मटर, शलगम, मिर्च, खीरा, करेला की खेती करें। कटी हुई धान को भंडारित करेंः कई राज्यों में अभी भी धान की कटाई जारी है। ऐसे में दिसंबर इस महीने धान की कटनी पूरी करें। साथ ही कटनी के बाद धान को सुखाकर भंडारित करें। आलू पर चढ़ाएं मिट्टीः दिसंबर के महीने में किसान आलू की फसलों पर हल्की मिट्टी चढ़ाएं और सिंचाई का ध्यान रखें। क्योंकि कई राज्यों में अब दिसंबर के अंत तक आलू की फसल में पाला लगने का भी खतरा बढ़ जाता है।

अजय कुमार खुशबू

पंचायत में सुनिए, हरियाणा के बीबीपुर की प्रेरक कहानी

महिला सशक्तिकरण और पारदर्शिता की मिसाल, सामाजिक सुधार और नवाचार से बनाया मॉडल पंचायत

ग्रामीण उपभोक्ता के पंचायत कॉलम में आज हम आपको सुनाएंगे हरियाणा के ऐसी पंचायत की कहानी जिसने छोटे-छोटे बदलावों से न सिर्फ अपनी पंचायत की तस्वीर बदल दी बल्कि देश की दूसरी तमाम पंचायतों के लिए एक आदर्श भी पेश किया।

भारत की ग्राम पंचायतें लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव मानी जाती हैं। जब ग्राम स्तर पर सुशासन, जनभागीदारी और नवाचार देखने को मिलता है, तब वही पंचायत 'आदर्श पंचायत' बनती है। हरियाणा के जींद जिले की बीबीपुर ग्राम पंचायत ऐसी ही एक पंचायत है, जिसने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण, पारदर्शी प्रशासन, सामाजिक सुधार और नवाचार के कारण बीबीपुर आज एक मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में जानी जाती है।

बीबीपुर गांव जींद जिले के नरवाना क्षेत्र में स्थित है। यह गांव कृषि प्रधान है और यहां की आबादी मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर निर्भर है। पहले यह गांव भी अन्य सामान्य गांवों की तरह ही सामाजिक कुरीतियों, सीमित संसाधनों और प्रशासनिक चुनौतियों से जूझ रहा था। लेकिन ग्राम पंचायत के नेतृत्व और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी ने इसे एक आदर्श गांव में बदल दिया।

नेतृत्व और सोच

बीबीपुर ग्राम पंचायत की सफलता के पीछे दूरदर्शी नेतृत्व और सकारात्मक सोच की बड़ी भूमिका रही है। पंचायत प्रतिनिधियों ने यह समझा कि गांव का विकास केवल सड़क, नाली और भवन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव के लोगों की मानसिकता बदलना, सामाजिक समानता और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है।

पंचायत ने निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों को सक्रिय रूप से शामिल किया। इससे लोगों में यह भावना पैदा हुई कि पंचायत उनकी है और विकास की जिम्मेदारी भी सामूहिक है।

महिला सशक्तिकरण की मिसाल

बीबीपुर ग्राम पंचायत को देशभर में पहचान दिलाने वाला सबसे बड़ा कार्य है महिला सशक्तिकरण। यहां से शुरू हुआ 'सेल्फी विद डॉक्टर' अभियान। इस अभियान को आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाता है। इस अभियान के तहत, बेटियों के जन्म को उत्सव की तरह मनाया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा बेटी के नाम पर पौधारोपण किया जाता है। पंचायत अभिलेखों और सार्वजनिक स्थलों पर बेटियों के सम्मान को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही समाज में यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि बेटी बोझ नहीं, बल्कि गर्व का विषय है।

इस पहल का नतीजा क्या रहा?

इस पहल से गांव में बेटे-बेटियों के लिंगानुपात में सुधार हुआ। बालिका शिक्षा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लैंगिक भेदभाव में कमी आई है।

शिक्षा के क्षेत्र में पहल

बीबीपुर पंचायत ने यह समझा कि शिक्षा ही स्थायी विकास की कुंजी है। पंचायत ने सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए-

- स्कूल भवनों की मरम्मत कराई गई।
- स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था की गई।
- बच्चों के बैठने के लिए स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराए गए।
- शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया गया।

इसके साथ ही, पंचायत ने बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया और ड्रॉपआउट दर को कम किया गया।

स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण

बीबीपुर ग्राम पंचायत ने स्वच्छ भारत मिशन को गंभीरता से अपनाया। गांव को खुले में शौच मुक्त (ODF) बनाने के लिए:

- हर घर में शौचालय निर्माण कराया गया।
- स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान

चलाया गया।
- नियमित सफाई व्यवस्था पर जोर दिया गया।

पर्यावरण संरक्षण
- बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है।
- जल संरक्षण के लिए तालाबों को पुनर्जीवन दिया गया।
- प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित किया गया।
- इन प्रयासों से गांव का वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ बना।

सामाजिक सुधार और समरसता
बीबीपुर पंचायत ने कई सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जैसे कि,
- दहेज प्रथा के खिलाफ जनजागरूकता अभियान चलाया गया।
- नशामुक्ति अभियान को जोर शोर से चलाया गया।
- जातिगत भेदभाव को कम करने के प्रयास किए गए।

पंचायत ने सामूहिक बैठकों और ग्राम सभाओं के माध्यम से सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। इससे गांव में आपसी विश्वास और सहयोग की भावना मजबूत हुई।

पारदर्शी और जवाबदेह शासन
बीबीपुर ग्राम पंचायत की एक बड़ी विशेषता है, पारदर्शिता। पंचायत के निर्णय ग्राम सभा में सार्वजनिक रूप से लिए जाते हैं।
- पंचायत के खर्चों की जानकारी लोगों को दी जाती है।
- पंचायत से जुड़ी योजनाओं के चयन में ग्रामीणों की सहमति ली जाती है।
- शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था है।
- इससे लोगों का पंचायत पर विश्वास बढ़ा और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हुईं।

युवाओं की भागीदारी
गांव के युवाओं को विकास प्रक्रिया से जोड़ने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जैसे कि,
- खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया।
- स्वैच्छिक कार्यों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई।
- सामाजिक अभियानों में नेतृत्व के अवसर

उपलब्ध कराए गए।
- युवाओं ने स्वच्छता, पर्यावरण और महिला सम्मान जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आर्थिक विकास की दिशा में प्रयास
हालांकि बीबीपुर मुख्यतः कृषि पर निर्भर गांव है, फिर भी पंचायत ने कई ऐसे ककदम उठाए जो अनुकरणीय बन गए।
- किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाने लगी।
- पशुपालन को बढ़ावा दिया गया।
- स्वरोजगार के लिए लोगों विशेषकर युवाओं को प्रेरित किया गया।
- ऐसे प्रयासों से ग्रामीणों की आय में धीरे-धीरे सुधार हुआ और उनके परिवारों में खुशहाली आने लगी।

सम्मान और पहचान
बीबीपुर ग्राम पंचायत को उसके नवाचारों और सामाजिक कार्यों के लिए भी विशेष तौर पर पहचान मिली। बीबीपुर को
- राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया गया।
- बीबीपुर पर प्रशासनिक और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अध्ययन (केस स्टडी) किया गया।
- बीबीपुर को अन्य पंचायतों के लिए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- बीबीपुर पंचायत यह साबित करती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद सकारात्मक सोच और सामूहिक प्रयास से बड़ा बदलाव संभव है।

बीबीपुर ने दिया दूसरी पंचायतों को सबक
बीबीपुर ग्राम पंचायत ने देश की दूसरी पंचयातों को कई सबक दिए हैं और वे उसका अनुकरण करके कई तरह के बदलाव ला सकती हैं।
- नेतृत्व में संवेदनशीलता और ईमानदारी का आदर्श प्रस्तुत किया।
- महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से समाज में परिवर्तन को तेजी दी गई।
- सामाजिक मुद्दों को प्राथमिकता दूसरे मुद्दों के मुकाबले प्राथमिकता दी गई।
- पारदर्शी प्रशासन से लोगों का भरोसा जीता गया।
- नवाचार और जागरूकता अभियान ने लोगों को शिक्षित करने के साथ विज्ञान के प्रति आकर्षित किया।

बीबीपुर ग्राम पंचायत हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण है। यह पंचायत दिखाती है कि जब गांव का नेतृत्व समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलता है, तब विकास केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में दिखाई देता है। आज बीबीपुर केवल एक गांव नहीं, बल्कि सोच में बदलाव का प्रतीक बन चुका है। यदि देश की अन्य पंचायतें भी इसी तरह सामाजिक जिम्मेदारी, पारदर्शिता और नवाचार को अपनाएं, तो 'ग्राम स्वराज' का सपना निश्चित रूप से साकार हो सकता है।

–लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

डी.के. दुबे

जरूरी है उपभोक्ता कानून के दायरे को समझना ताकि शिकायत गलत मंच पर न जाए

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में तमाम भ्रमों को दूर किया

भारत की सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर अपने फैसलों में उपभोक्ता संरक्षण कानून की सीमाओं और उसको लेकर उठने वाले भ्रम को स्पष्ट करता रहता है। इसी सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय ने सिटीकॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड बनाम स्नेहाशीष नंदा 2025 आईएनएससी 371 के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत के इस फैसले में भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून की सीमाओं को स्पष्ट और सुदृढ़ किया गया है।

यह निर्णय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 अधिनियम) के तहत 'उपभोक्ता' की परिभाषा , उपभोक्ता और सेवा प्रदाता के बीच अनुबंध की गोपनीयता की आवश्यकता, और उपभोक्ता विवादों की मध्यस्थता जैसे महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों से संबंधित है। इस आलेख में इस निर्णय का विश्लेषण किया गया है और इसके व्यापक निहितार्थों की पड़ताल की गई है।

क्या हैं तथ्य?

- स्नेहाशीष नंदा, नवी मुंबई में एक फ्लैट के मालिक थे, जो आईसीआईसीआई बैंक के पास गिरवी रखा हुआ था।
- 2008 में नंदा ने फ्लैट मुबारक वाहिद पटेल को 32,00,000 रुपये में बेचने का फैसला किया और नंदा और पटेल ने बिक्री के लिए एक समझौता किया।
- पटेल ने आवास ऋण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपीलकर्ता सिटीकॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड (सिटीकॉर्प) से संपर्क किया।
- सिटीकॉर्प ने 23,40,000 रुपये मंजूर किये।
- बिक्री समझौते के अनुसार, यह सहमति हुई थी कि स्वीकृत राशि में से, सिटीकॉर्प आईसीआईसीआई बैंक को नंदा के ऋण को बंद करने और बंधक को मुक्त करने के लिए 17,80,000 रुपये का भुगतान करेगा, तथा शेष राशि नंदा को देगा।

भुगतान:

- सिटीकॉर्प ने आईसीआईसीआई बैंक को 17,80,000 रुपये का भुगतान किया।
- सिटीकॉर्प ने पटेल को 5,09,311 रुपये का चेक जारी किया, जिसे कभी भुनाया नहीं गया।
- नंदा को पटेल से केवल 17,80,000 रुपये प्राप्त हुए तथा शेष बिक्री राशि का भुगतान नहीं किया गया।
- इसलिए, नंदा ने 2018 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष 13,20,000 रुपये की वसूली के लिए शिकायत दर्ज की।
- नंदा ने अपने, सिटीकॉर्प और पटेल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते का दावा किया, जिसके तहत सिटीकॉर्प को शेष भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया गया।
- एनसीडीआरसी ने सिटीकॉर्प को सेवा में कमी का दोषी पाया और सिटीकॉर्प को नंदा को ब्याज और मुकदमेबाजी लागत सहित 13,20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
- एनसीडीआरसी के निर्णय से व्यथित होकर सिटीकॉर्प ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

मामला पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, सिटीकॉर्प ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि 1986 के अधिनियम के तहत

नजीर

उक्त शब्द के अर्थ में नंदा 'उपभोक्ता' नहीं थे। सिटीकॉर्प के अनुसार, उसके और नंदा के बीच कोई अनुबंधात्मक गोपनीयता नहीं थी और सिटीकॉर्प की ओर से नंदा के लिए कोई दायित्व नहीं था। सिटीकॉर्प और पटेल के बीच सिटीकॉर्प से ऋण लेने वाले के रूप में एक अनुबंध था, और पटेल और नंदा के बीच एक अनुबंध था, अर्थात बिक्री के लिए समझौता। हालाँकि, सिटीकॉर्प और नंदा के बीच कोई अनुबंध नहीं था।

इसके अलावा, सिटीकॉर्प ने तर्क दिया कि नंदा ने किसी तरह को कोई त्रिपक्षीय समझौता नहीं किया थ जैसा कि उसने दावा किया था। एनसीडीआरसी ने बिना किसी सबूत के यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसा कोई समझौता था जिसके तहत सिटीकॉर्प, नंदा को शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इसके अलावा, सिटीकॉर्प ने कुछ और तर्क दिए, जिनमें सीमा अवधि का तर्क भी शामिल था।

नंदा ने सिटीकॉर्प के तर्कों का खंडन किया और एनसीडीआरसी के फैसले का बचाव किया। नंदा ने तर्क दिया कि एनसीडीआरसी ने त्रिपक्षीय समझौते को सही ठहराया और तदनुसार, सिटीकॉर्प को नंदा को राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय को मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रश्नों पर निर्णय देने के लिए कहा गया

- क्या प्रतिवादी 1986 अधिनियम की धारा 2(1)(डी) के तहत "उपभोक्ता" के रूप में योग्य है?
- क्या सिटीकॉर्प पर नंदा के साथ किसी अनुबंध के अभाव में उन्हें शेष बिक्री राशि का भुगतान करने का कोई दायित्व था ?

सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नंदा अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता' नहीं थे, क्योंकि उनके और सिटीकॉर्प के बीच कोई निजी अनुबंध नहीं था। ऋण समझौता सिटीकॉर्प और पटेल के बीच था, और

सिटीकॉर्प ने नंदा को कोई सेवा प्रदान नहीं की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही बिक्री समझौते में यह शर्त हो कि सिटीकॉर्प को नंदा को सीधे भुगतान करना होगा, फिर भी यह इस तथ्य को नहीं नकारता कि बिक्री समझौता केवल नंदा और पटेल के बीच था, और सिटीकॉर्प कभी भी उक्त समझौते का पक्षकार नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि एनसीडीआरसी ने सिटीकॉर्प के विरुद्ध केवल इसलिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने में गलती की क्योंकि उसने त्रिपक्षीय समझौते के अस्तित्व को नकारने वाला कोई विशिष्ट हलफनामा दायर नहीं किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि त्रिपक्षीय समझौते के अस्तित्व को साबित करने का दायित्व नंदा का है, सिटीकॉर्प का नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि एनसीडीआरसी के समक्ष प्रस्तुत कथित त्रिपक्षीय समझौता भी हस्ताक्षर रहित, बिना मुहर लगा हुआ और अधूरा था। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि त्रिपक्षीय समझौते का अस्तित्व संदिग्ध था और यह सिटीकॉर्प को उत्तरदायी ठहराने का आधार नहीं हो सकता।

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने उपभोक्ता विवादों की मध्यस्थता पर पिछले उदाहरणों के अनुरूप कुछ प्रासंगिक टिप्पणियाँ भी कीं। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में किसी भी पक्ष द्वारा मध्यस्थता के संबंध में उठाए गए किसी भी तर्क को दर्ज नहीं किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उपभोक्ता विवाद में, यदि किसी समझौते या दस्तावेज़ के तहत

मध्यस्थता का प्रावधान है, तो उसे " केवल 'उपभोक्ता' की विशेष पसंद " पर चुना जा सकता है।

उपभोक्ता को मध्यस्थता चुनने या उपभोक्ता फोरम में जाने का विकल्प दिया जाता है। केवल इसलिए कि एक मध्यस्थता समझौता है, एक उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत अपने उपायों को छोड़ने और अपने विवाद की मध्यस्थता करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, इस बिंदु पर कानून को बताने के अलावा, सर्वोच्च न्यायालय आगे नहीं गया क्योंकि त्रिपक्षीय समझौते के संदिग्ध होने के मद्देनजर इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

समय-सीमा के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि एनसीडीआरसी के समक्ष शिकायत लगभग 8 वर्षों की देरी के बाद दायर की गई थी और सिटीकॉर्प द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बावजूद, एनसीडीआरसी के निर्णय में इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीडीआरसी को दोषी पाया कि उसने शिकायत दर्ज करने में हुई देरी को क्षमा करने का कोई कारण दर्ज किए बिना ही शिकायत को आगे बढ़ने दिया।

निर्णय का महत्व

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय उपभोक्ता अधिकार क्षेत्र की सीमाओं और संविदात्मक निजता के महत्व को स्पष्ट करता है। यह निर्णय इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि केवल वे पक्ष जो 'उपभोक्ता' के रूप में योग्य हैं, उपभोक्ता मंचों के समक्ष उपचार का सहारा ले सकते हैं। यह उन तृतीय पक्षों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण तंत्रों के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करता है जिनका सेवा प्रदाताओं के साथ सीधा संविदात्मक संबंध नहीं है, इस प्रकार ऐसे सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत अनावश्यक और कष्टदायक मुकदमेबाजी से सुरक्षा प्रदान करता है।

उपभोक्ता के लिए सबक

उपभोक्ताओं के लिए मुख्य बात यह है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून का सहारा लेने से पहले, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनका दूसरे पक्ष के साथ एक वैध अनुबंध है और वे उपभोक्ता संरक्षण कानून के अनुसार एक 'उपभोक्ता' हैं।

यह इसलिए ज़रूरी है ताकि उपभोक्ता गलत मंचों पर मुकदमा चलाने में अपना कीमती समय बर्बाद न करें और बाद में सही मंच पर जाने पर खुद को सीमा-कानून से जुड़ी जटिल समस्याओं के संपर्क में न आने दें।

- **उपभोक्ता को मध्यस्थता चुनने या उपभोक्ता फोरम में जाने का दिया जाता है विकल्प**
- **सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय उपभोक्ता अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को स्पष्ट करता**

इसके अलावा, यह निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि यदि कोई मध्यस्थता खंड है, तो फोरम का चुनाव पूरी तरह से उपभोक्ता के पास होगा, न कि सेवा प्रदाता या किसी अन्य पक्ष के पास। हालांकि यह उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है, लेकिन यह सेवा प्रदाताओं के लिए कठिन है क्योंकि वे इस बारे में निश्चित नहीं हो सकते हैं कि उपभोक्ता के साथ विवाद होने पर मामला किस फोरम में दायर किया जाएगा। जबकि उपभोक्ता संरक्षण कानून एक कल्याणकारी कानून है जिसका उद्देश्य गलत व्यवहार करने वाले वास्तविक उपभोक्ताओं की रक्षा करना है, गैर-उपभोक्ताओं के लिए कठिन पहलुओं को भी संबोधित किया जाना चाहिए और उनके लिए भी स्पष्टता प्रदान की जानी चाहिए कि विवाद उत्पन्न होने पर मामले कहां जाएंगे। इसलिए, सेवा प्रदाताओं को, उपभोक्ता मुकदमेबाजी के खतरे को कम करने के लिए, हर समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सेवाओं में कोई कमी न हो और वे किसी ऐसे व्यवहार में प्रवेश न करें जो उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन करता हो।

यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि यह निर्णय 1986 के अधिनियम के संदर्भ में दिया गया था, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर भी लागू होता है। इसी प्रकार, जबकि इस मामले में विपरीत पक्ष एक सेवा प्रदाता था और इसलिए, निर्णय सेवा प्रदाताओं पर केंद्रित था, यह निर्णय किसी ऐसे व्यक्ति पर भी समान रूप से लागू होगा जो वस्तुओं का व्यापार या बिक्री करता है।

-लेखक कानूनी मामलों के जानकार हैं

सुरेश उपाध्याय

दिल्ली के 'ग्रीन लंग्स' पर खतरा, क्यों मचा बवाल ?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सरकार की मंशा पर सवाल

अरावली पर्वत मालाओं को लेकर नई परिभाषा से विवाद उठ खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को स्वीकार करते हुए आदेश दिया है कि केवल वे ही भू-आकार/हिल्स स्थानीय आधार पर 100 मीटर या अधिक ऊंचाई है, उन्हें ही 'अरावली हिल्स' के रूप में माना जाएगा।

अरावली पर्वत मालाओं को लेकर देश में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। अरावली के उत्तरी विस्तार दिल्ली रिज को खासतौर पर दिल्ली का ग्रीन लंग्स कहा जाता है। यही पहाड़ियां दिल्ली को थार की गरम हवाओं से बचाती हैं। लेकिन, अरावली पर्वत मालाओं को लेकर नई परिभाषा से विवाद उठ खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को स्वीकार करते हुए आदेश दिया है कि केवल वे ही भू-आकार/हिल्स स्थानीय आधार पर 100 मीटर या अधिक ऊंचाई है, उन्हें ही 'अरावली हिल्स' के रूप में माना जाएगा।

इस परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक विस्तृत 692 कि.मी. लंबी पर्वत श्रृंखला की 100 मीटर से नीचे की छोटी पहाड़ियां और ढलानें अब 'अरावली" नहीं मानी जाएंगी। विशेषज्ञों के अनुसार, इस नई ऊंचाई-आधारित परिभाषा से लगभग 90 प्रतिशत अरावली क्षेत्र 'अरावली" के दायरे से बाहर हो सकता है।

इसका अर्थ यह है कि अरावली को पिछले तीन दशकों में मिला कानूनी संरक्षण अब खत्म हो गया है और इसके ज्यादातर क्षेत्र खनन कारोबारियों के लिए खोल दिए जाएंगे। यानी सत्ता चाहे तो इस 100 मीटर से निचले इलाकों को अपने वित्त पोषकों के हवाले कर उससे ऊंची चोटियों को धराशाही करने की छूट दे सकती है। इससे वे हिस्से अब पुराने प्रोटेक्शन नियमों से मुक्त हो सकते हैं और उन पर खनन, निर्माण और अन्य विकास गतिविधियों का दबाव बढ़ सकता है।

अरावली पर्वत श्रृंखला थार मरुस्थल और पूर्वी मैदानों के बीच एक प्राकृतिक अवरोधक का काम करती है जो पश्चिम से आने वाली गर्म और शुष्क हवाओं (लू और धूल भरी आंधियां) को काफी हद तक रोकती या धीमा करती है, जिससे राजस्थान के पूर्वी भाग, हरियाणा और दिल्ली में इन हवाओं का असर कम होता है।

यह देश के उत्तर-पश्चिम में रेगिस्तान के फैलाव को रोकने, भू-जल रिचार्ज और हवा को साफ रखने का काम करती है। इस विस्तृत भू-भाग में जलवायु को संतुलित रखने में अरावली पर्वतमाला की भूमिका महत्वपूर्ण है।

इससे दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में धूल की आंधियां कम आती हैं, तापमान कुछ हद तक नियंत्रित रहता है। जिससे गर्मियों में यह 2-3 डिग्री सेल्सियस तक कम प्रभावी हो जाता है और मरुस्थलीकरण की गति धीमी पड़ती है।

अरावली के उत्तरी विस्तार दिल्ली रिज को विशेष रूप से दिल्ली का 'ग्रीन लंग्स' कहा जाता है, जो शहर को थार की गर्म हवाओं से बचाता है। यदि अरावली में खनन वृद्धि से इसकी हरियाली का क्षरण होता रहा तो यह क्षेत्र अर्ध-मरुस्थलीय हो सकते हैं।

पहले समझिए पूरा मामला: अरावली केस क्या है?

अरावली पर्वतमाला से जुड़ा मामला कई वर्षों से उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका मूल प्रश्न यह रहा है कि अरावली पहाड़ियाँ आखिर हैं क्या और उन्हें कैसे परिभाषित किया जाए?

इस मुद्दे पर अलग-अलग राज्यों में अलग परिभाषाएँ लागू थीं, जिससे खनन, निर्माण और पर्यावरण संरक्षण को एकराय नहीं थी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वैज्ञानिक परिभाषा को स्वीकार किया, जिसके अनुसार—

- जिस भू-भाग की ऊँचाई आसपास के सामान्य धरातल से कम से कम 100 मीटर अधिक है, वही अरावली हिल मानी जाएगी।
- यदि ऐसी दो या अधिक पहाड़ियाँ 500 मीटर के दायरे में हों, तो उन्हें अरावली रेंज कहा जाएगा।
- सरकार का तर्क है कि इससे पूरे देश में एक समान और स्पष्ट परिभाषा लागू होगी।

हालाँकि, इसी बिंदु पर विवाद शुरू होता है, क्योंकि अरावली केवल ऊँचाई नहीं, बल्कि एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र है।

न्यायालय के इस ताज़ा फैसले का शायद एक कारण यह भी है कि अरावली संरक्षण के लिए कोई ठोस तथा अलग से कानून नहीं है। जबकि 1992 का कानून सीमित था।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ सवाल भी उठते हैं। क्या यह आदेश पारित करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के विषय विशेषज्ञों की राय जानने की कोशिश की? और, वह भी तब जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई से सांस और फेफड़े की बीमारियां फैल रही हैं, इनके रोगियों की बढ़ती भीड़ सम्हालने में अस्पतालों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, यह जगजाहिर है।

क्या होगा नुकसान

दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में धूल, जल संकट और पारिस्थितिक असंतुलन की आशंका बढ़ सकती है। प्रदूषण बढ़ेगा और गर्मी का असर और भी अधिक तीव्र होगा।

हालांकि अरावली अब बहुत ऊंची नहीं रही और कुछ जगहों पर गैप हो गए हैं, इससे यह पश्चिम से आने वाली गर्म आंधियों को पूरी तरह से रोक नहीं देती लेकिन इसका महत्वपूर्ण मॉडरेटिंग प्रभाव अवश्य है।

यही कारण है कि हाल के वर्षों में अरावली की रक्षा के लिए 'अरावली बचाओ' अभियान और अफ्रीका में सहारा मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए शुरू की गई 'ग्रेट ग्रीन वॉल पहल' से प्रेरित भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पर्यावरणीय पहल 'अरावली हरित दीवार परियोजना' में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 कि.मी. चौड़ी और लगभग 1,400 कि.मी. लंबी हरित पट्टी विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अरावली के क्षरण से सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान को होने की आशंका है। उपलब्ध सरकारी और तकनीकी अध्ययनों के अनुसार राजस्थान में मौजूद अरावली पहाड़ियों में से लगभग 90 प्रतिशत पहाड़ियाँ 100 मीटर की ऊँचाई की शर्त पूरी नहीं करतीं।

इसका सीधा अर्थ यह है कि, राजस्थान की केवल 8–10% पहाड़ियाँ ही "अरावली' की कानूनी परिभाषा में आएँगी। करीब 90% पहाड़ियाँ संरक्षण कानूनों से बाहर हो सकती हैं। यह तथ्य इसलिए बेहद गंभीर है क्योंकि, अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में ही स्थित है।

ये छोटी और मध्यम ऊँचाई वाली पहाड़ियाँ ही वर्षा जल को रोकती हैं।

विशेषज्ञ मानते हैं कि अरावली को नुकसान होने की स्थिति में कई तरह के संकट पैदा होंगे। जैसे कि अरावली, भूजल पुनर्भरण करती हैं। धूल भरी आँधियों को रोकती है

थार रेगिस्तान के फैलाव में बाधा बनती है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि ये पहाड़ियाँ संरक्षण से बाहर हुईं, तो अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनूं, उदयपुर, राजसमंद जैसे जिलों में भूजल स्तर और गिरेगा सूखे की तीव्रता बढ़ेगी, खनन और अनियंत्रित निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान पहले ही जल-संकटग्रस्त राज्य है। ऐसे में अरावली का कमजोर होना केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संकट को जन्म देगा।

क्या कहती है पर्यावरण अध्ययन रिपोर्ट?

ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की 2024-2025 रिपोर्ट्स के अनुसार, 2001-2024 के बीच भारत के वनाच्छादित क्षेत्र में कुल 60 प्रतिशत का नुकसान हुआ है हालांकि इसमें ज्यादा हिस्सा उत्तर-पूर्वी राज्यों में का है जिसमें असम में सबसे अधिक नुकसान दर्ज किया गया।

यह सब देखते हुए अरावली पहाड़ बचाने का अलग कानून अब जरूरी है। आज नदियों और तालाबों को बचाने के प्रयास सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही स्तरों पर किये जा रहे हैं तो देर-सवेर वे अधिक नहीं तो कम ही सही, बहाल हो सकते हैं, लेकिन ध्वस्त हो गए पहाड़ों को पुनर्स्थापित कदापि नहीं किया जा सकता। खनन से नष्ट पहाड़ कभी पुनर्जीवित नहीं होते। इसीलिए अरावली फिर वैसी नहीं बन सकती।

सरकारों द्वारा वनीकरण योजना के तहत विकसित या रोपित वनों तथा प्राकृतिक रूप से निर्मित जंगलों में जो धरती-आसमान जितना अंतर होता है, उसे हमें समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि यह मामला सिर्फ अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण का नहीं बल्कि सारे देश की जलवायु नियंत्रित करने वाले प्रकृति प्रदत्त बड़ी प्रणाली को यथावत बचाने की जरूरत का है। जिसके तहस-नहस होने से यह देश भयंकर आपदाओं के दुष्चक्र में फँस जाएगा, यह निश्चित है।

-लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं

भारत टैक्सी एक जनवरी से

देश में भारत टैक्सी सर्विस 1 जनवरी, 2026 से शुरू होने की घोषणा की गई है। यह एक इनोवेटिव टैक्सी सर्विस है जिसमें ग्राहकों को कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी बुक करने का ऑप्शन मिलेगा और यह सब एक विशेष रूप से डेवलप किए गए एप्लिकेशन के माध्यम से किया जा सकेगा। हालांकि यह ऊबर, ओला या रैपिडो जैसी दिखती है, लेकिन यह उनसे पूरी तरह अलग है। यह सर्विस दिल्ली और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में बीटा वर्जन में पहले ही शुरू हो चुकी है, जिससे यूजर्स को सर्विस का एक्जीक्यूशन कैसा रहने वाला है, इसका कुछ-कुछ अंदाजा मिल रहा है। भारत टैक्सी एक सहकारी टैक्सी सर्विस मॉडल पर काम करती है। इसका अर्थ है कि सर्विस का नियंत्रण ड्राइवरों के पास है ना कि किसी निजी कंपनी या निवेशक के पास। इसे 'टैक्सी के लिए अमूल मॉडल' भी कहा जा सकता है, जिसमें हजारों टैक्सियां मिलकर सर्विस ऑपरेट करती हैं।

रेलवे का किराया बढ़ा

भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए बड़ा एलान किया है। 26 दिसंबर 2025 से ट्रेनों के किराए में संशोधन लागू हो गया है। इस फैसले का असर देशभर के करोड़ों यात्रियों पर पड़ेगा, हालांकि रेलवे ने छोटी दूरी की यात्रा करने वालों को राहत देते हुए 215 किलोमीटर तक के सफर पर किराया न बढ़ाने का फैसला किया है। दैनिक यात्रियों के हित में उपनगरीय ट्रेनों और मासिक सीजन टिकटों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे के अनुसार, साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाएगा। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और छोटी दूरी के यात्रियों की जेब पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। रेलवे का कहना है कि यह फैसला आम यात्रियों को ध्यान में रखकर लिया गया है।

जीरो बैंक खातों के RBI के नए नियम

भारतीय रिजर्व बैंक ने आम ग्राहकों को राहत पहुंचाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। यह नए बदलाव से बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट यानी जीरो बैंक अकाउंट खातों के लिए है। इसमें हर महीने जमा होने वाली रकम, बिना किसी नवीनीकरण शुल्क के फ्री में एटीएम या डेबिट कार्ड का उपयोग, हर साल कम से कम 25 पन्नों वाली चेकबुक, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग और पासबुक या मंथली डिटेल्स जैसे नए बदलाव शामिल हैं। बैंकों को एटीएम और दूसरे बैंक के एटीएम के लेनदेन सहित हर महीने न्यूनतम चार बार तक बिना किसी चार्ज के पैसे निकालने की अनुमति होगी। UPO, IMPS, NEFT और RTGS जैसे डिजिटल पेमेंट लेनदेन को इस कोटे के लिए निकासी के रूप में नहीं गिना जाएगा। जिससे यूजर्स से अलग से इन पर किसी तरह की डिजिटल गतिविधि करने के लिए चार्ज नहीं लिया जाएगा।

विविध

QR कोड बताएगा असलियत

सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाली भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी क्यूसीआई ने प्रयोगशालाओं (Labs), अस्पतालों और छोटे व मझोले उद्योगों के लिए एक विशेष 'क्यूआर-कोडेड मार्क ऑफ क्वालिटी' लॉन्च किया है। इस नई व्यवस्था का सीधा असर आम जनता और बाजार की पारदर्शिता पर पड़ेगा। QCI के अनुसार, इस QR कोड व्यवस्था के लागू होने से 'फुल डिस्क्लोजर' (पूर्ण खुलासा) सुनिश्चित होगा। जैसे ही कोई नागरिक किसी संस्थान के सर्टिफिकेट पर लगे QR कोड को स्कैन करेगा, उसे तुरंत पता चल जाएगा कि उस लैब, अस्पताल या एमएसएमई यूनिट की मान्यता असली है या नहीं। यह कदम न केवल उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाएगा, बल्कि सही काम करने वाले संस्थानों की साख भी बढ़ाएगा।

दवा नकली है तो ऐसे पकड़ें

बाजार में नकली और मिलावटी दवाइयों की बढ़ती चुनौती अब आम लोगों के स्वास्थ्य और दवा कंपनियों की विश्वसनीयता पर सीधा असर डाल रही है। इसी गंभीर समस्या का समाधान खोजते हुए शेख जलगांव महाराष्ट्र के तीन छात्रों फैजान, फरहीन, अंशया ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो किसी भी दवा की प्रामाणिकता को कुछ सेकंड में जांच सकता है। जिसके अंतर्गत https://iisf-final-project.onrender.com/ पर लॉगइन करके दवा पर बने क्यू आर कोड को स्कैन करना होगा और उस दवा की गुणवत्ता रिपोर्ट सामने आ जाएगी। कोई भी व्यक्ति दवा को तीन तरीकों से वेरिफाई कर सकता है बैच नंबर टाइप करके, पैकिंग पर बने सुरक्षित क्यू आर को स्कैन करके और फिर दवा/पैकिंग की एक फोटो अपलोड करके जो तरीका सुविधाजनक लगे, उससे दवा की पहचान तुरंत हो जाती है। शुरुआती दौर में 5 हजार दवाओं का डेटा इसमें फीड किया गया है।

पैन-आधार लिंक करा लें फटाफट

पैन और आधार को लिंक कराना जरूरी हो चुका है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, अगर 1 जनवरी 2026 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। खास तौर पर जिन लोगों का आधार 1 अक्तूबर 2024 या उससे पहले जारी हुआ है, उनके लिए 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है। समय पर लिंकिंग न होने की स्थिति में टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं। पैन इनऑपरेटिव का सीधा मतलब है कि पैन कार्ड वैध होते हुए भी काम नहीं करेगा। यानी कानूनन पैन रहेगा, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

ग्रामीण उपभोक्ता टीम

अर्टिगा का नया अवतार

मारुति सुजुकी ने 2013 में जब अर्टिगा को उतारा था तो लोगों को कम कीमत में एक ऐसी गाड़ी देने की कोशिश की थी जिसमें 7 लोग एक साथ सफर कर सकें। बिक्री के लिहाज से इस गाड़ी को हिट कहा जा सकता है क्योंकि बिक्री के मामले में अगर किसी एमयूवी ने टोयोटा की इनोवा को टक्कर दी तो वो अर्टिगा ही थी। हालांकि यह एक फैमिली वीकल के तौर पर खुद को साबित नहीं कर पाई। अब मारुति ने जब नई अर्टिगा उतारी है तो उसमें वो सभी कमियां दूर करने की कोशिश की गई है जो इसको फैमिली कार बनने से रोक रही थीं। यह एक प्रीमियम लुक वाली गाड़ी है। फ्रंट में क्रोम का जमकर इस्तेमाल किया गया है जो आजकल प्रीमियमनेस का एक पैमाना सा बन चुका है। अच्छी बात यह है कि साइड और बैक प्रोफाइल पर भी जमकर मेहनत की गई है। खासकर ब्लैक सी-पिलर इसे एक अलग करैक्टर देने का काम करता है।

फोर्ड फीगो को नया लुक

Ford ने देश में लंबे समय से कोई नई गाड़ी लॉन्च नहीं की है, लेकिन अपनी मौजूदा गाड़ियों को कंपनी लगातार मिडलाइफ अपडेट देती रही है। इकोस्पोर्ट्स, एस्पायर और एंडेवर के बाद अब हैचबैक Figo को नए अवतार में पेश किया गया है। जिस तरह के बदलाव आपने कुछ दिन पहले आई नई एस्पायर में देखे थे, कुछ उसी तर्ज पर फिगो को भी अपडेट दिए गए हैं। ग्रिल, बंपर को नई डिजाइन दी गई है। फॉग लैंप का प्रोफाइल भी एस्पायर जैसा दिखता है। सिल्वर अलॉय और क्रोम के इस्तेमाल से टाइटैनियम वेरियंट को प्रीमियम लुक देने की कोशिश की गई है, लेकिन असली नयापन दिखता है नए ब्लू वैरियंट में। ब्लैक ग्रिल, ब्लैक अलॉय और ड्यूल टोन रूफ इसे एक स्पोर्टी कार वाला लुक देते हैं। फॉग लैंप के अलावा इंटीरियर में भी ब्लू इंसर्ट दिए गए हैं। फिगो का यह वेरियंट ज्यादा फ्रेश और अलग दिखता है।

हायर इंडिया का ग्रैविटी एआई सीरीज़ एयर कंडीशनर

करीब डेढ़ दशक से दुनिया का नंबर-एक का दावा करने वाली एप्लायंसेज़ ब्रांड हायर एप्लायंसेज़ इंडिया ने दिसंबर में अपने नवीनतम ग्रैविटी एआई सीरीज़ एयर कंडीशनर्स का लोकार्पण किया। 'एआई फार एयर" इवेंट के दौरान ग्रेटर नोएडा में लोकार्पित यह एयर कंडीशन अब तक की सबसे प्रीमियम और एआई-इंटीग्रेटेड एसी सीरीज़ है, जो भारत में इंटेलिजेंट कूलिंग का नया मानक स्थापित करती है। कंपनी के मुताबिक 'एआई फार एयर" तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है। इसमें बचत के लिए, आराम के लिए और सर्विस के लिए एआई का प्रयोग किया गया है। ये फीचर्स एयर कंडीशनिंग को भारतीय घरों के लिए और अधिक स्मार्ट, सुविधाजनक और किफायती बनाते हैं। ग्रैविटी एआई सीरीज़ में अगली पीढ़ी की कई सुविधाएँ शामिल हैं—जैसे एआई क्लाईमेट कंट्रोल 2.0, जो उपयोगकर्ता की पसंद सीखकर निजी कूलिंग प्रदान करता है, और डायनमिक एनवायरमेंटल एडेप्शन जो इनडोर व आउटडोर स्थितियों के आधार पर रियल-टाइम में प्रदर्शन समायोजित करता है।

नए उत्पाद

भारत बेंज़ की 19.5 टन की नई हेवी-ड्यूटी बस

डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स , डेमलर ट्रक एजी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी, ने बीबी1924 - एक उन्नत हेवी-ड्यूटी बस की शुरूआत की है। यह भारत में तेज़ी से बढ़ते अंतर-शहरी यात्री परिवहन को एक नया रूप देने के लिए तत्पर है। बीबी1924, जिसका सकल वाहन भार 19,500 किलोग्राम (19.5 टन) है, भारत में अंतर-शहरी बस परिचालकों की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जैसे कि उच्चतर पेलोड क्षमता, कम परिचालन लागत और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा, ताकि देश में यात्रा की बढ़ती मांग का उचित लाभ उठाया जा सके। बीबी1924 भारतबेंज़ के भारत भर में मौजूद 398 अधिकृत टचपॉइंट्स वाले व्यापक नेटवर्क पर उपलब्ध होगा, जिससे इन्हें प्राप्त करना आसान और पूरे भारत में वितरण सुनिश्चित होगा। अधिग्रहण को सहज बनाने के लिए, भारतबेंज़ ने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फिनसर्व सहित 15 से अधिक बड़े बैंकों और एनबीएफसी के साथ साझेदारी की है।

सैंमसंग का ओडिसी गेमिंग मॉनिटर

सैमसंग ने भारत में उपभोक्ताओं के लिए 75,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर 'ओडिसी गेमिंग मॉनिटर' की लेटेस्ट रेंज लॉन्च की है। सैमसंग इंडिया में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंटरप्राइज बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट, पुनीत सेठी ने एक बयान में कहा है कि, मॉनिटर की नई रेंज न सिर्फ गेमिंग के शौकीनों की जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि अपने स्मार्ट एंटरटेनमेंट हब के जरिए बेहतरीन सिनेमैटिक अनुभव भी मुहैया कराती है। बेजोड़ रिफ्रेश रेट और स्क्रीन का स्लीक डिजाइन आधुनिक उपयोगकर्ता की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं जो देरी और विलंबता पर स्पीड पसंद करते हैं। कंपनी ने कहा कि मॉनिटर को तेज रिफ्रेश रेट, बेहतर गेमिंग और देखने का अनुभव, बेहतर ऑडियो सिस्टम और उच्च पिक्सल डेंसिटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

लेनेवो का फ्लेक्सेबल डिस्प्ले लैपटॉप

हाल ही में बार्सिलोना में दुनिया का सबसे बड़ा टेक शो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस समाप्त हुआ। इस टेक शो में दुनिया भर की जानी मानी कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लॉन्च किया। कई कंपनियो ने अपने कॉन्सेप्ट डिवाइसेस को भी शो-केस किया। दिग्गज कंपनी लेनोवो ने भी इस इवेंट में अपने कई प्रोडक्ट दिखाए। लेनोवो ने एम डब्ल्यू सी 2023 में अपना एक फ्लेक्सिबल डिस्प्ले वाला लैपटॉप दिखाया जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खीचा। इस लैपटॉप की सबसे खास बात यह है कि इसका डिस्प्ले रोलेबल डिस्प्ले है। अगर अपने कॉन्सेप्ट लैपटॉप को लेनोवो मार्केट में उतारती है तो यह किसी जादू से कम नहीं होने वाला है। इसमें एक फिजिकल बटन दिया गया है जिसे टैप करते ही इसका डिस्प्ले लंबा हो जाएगा। इसमें दो डिस्प्ले दी गई हैं जो अंदर और बाहर की तरफ स्लाइड होती हैं। नॉर्मल कंडीशन में इसका स्क्रीन साइज 12.7 इंच का रहता है लेकिन इसे एक बटन से 15. 3 इंच तक लंबा किया जा सकता है।

Elevate Your Public Image

Amplifying Your Brand's Voice

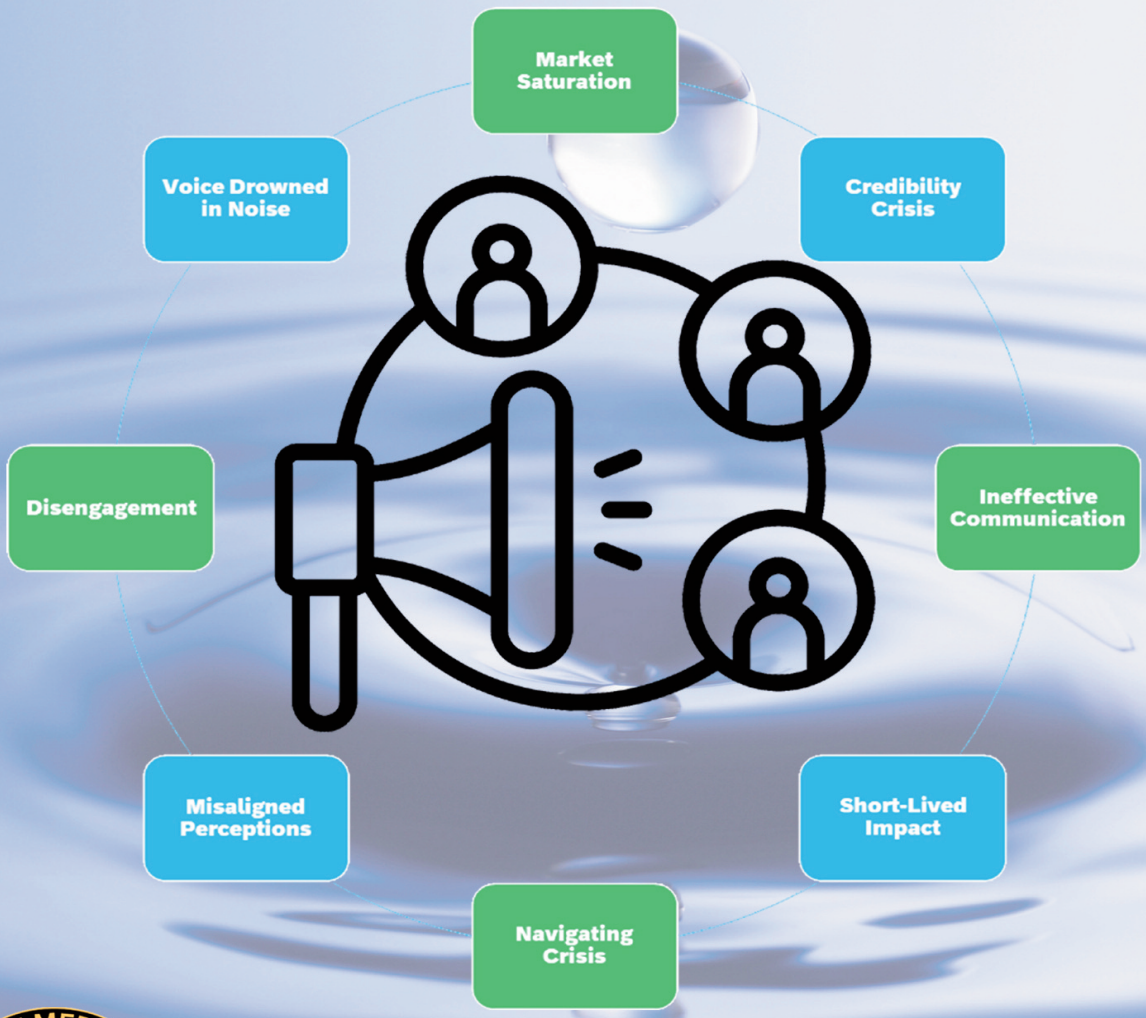

Pratidhwani Media Initiative Pvt. Ltd.

Contact Information

Email: pratidhwanimediainitiative@gmail.com
Website: www.pratidhwanimedia.com
Address: 101, Shahpuri Tower, C-58, Community Center, Janakpuri, New Delhi - 110058

Atulyam

Atulyam Multi State Multi Purpose Cooperative Society

Multi-State Cooperative Society Registered with Registrar of Multi State Cooperative Societies under Multistate Co-operative Societies Act, 2002 (Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, GoI)

CONTACT US

Head Office

101, Shahpuri Tower
C - 58, Community Centre
Janakpuri, New Delhi - 110058
Phone No. - 011-45733115/ 9810085115
Email: atulyam.mscs@gmail.com
www.atulyam.org

Regional Office (Bihar)

Uphrail Chauk,
Ward No. -10, Bypass
Purnea, Bihar –854315